


अमरकंटक विकास योजना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल


प्रस्तावना

अमरकंटक नवगठित अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में संभागीय मुख्यालय रीवा से 256 किलोमीटर की दूरी पर शहडोल-बिलासपुर मार्ग पर समुद्र सतह से 1100 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है एवं ऊँची-ऊँची मैकल पर्वत मालाओं से घिरा हुआ है । यह संभागीय मुख्यालय रीवा एवं जिला मुख्यालय अनूपपुर से राजमार्ग क्रमांक 9 से पूरे वर्ष सुगम आवागमन हेतु जुड़ा हुआ है ।

मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा, सोन तथा जोहिला नदी का उद्गम स्थल है । पहाड़ी क्षेत्र, रमणीय घाटियों, प्राकृतिक वन सम्पदा तथा पवित्र नदियों के उद्गम स्थल होने के फलस्वरूप यह नगर धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है । इस नगर को पुरातत्वकाल से ऋषि-मुनियों की तपोभूमि कहा जाता है ।

अमरकंटक नगर की विकास योजना अन्य नगरों की विकास योजना से पूर्णतया भिन्न है । इस विकास योजना का उद्देश्य नगर के धार्मिक, पुरातत्वीय, सांस्कृतिक तथा नैसर्गिक सौन्दर्य की विरासत को संरक्षण संवर्धन प्रदान करना है । पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्राकृतिक वन संपदा तथा दर्शनीय स्थलों तक सुगम पहुंच मार्ग, सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा पर्यटकों के निवास हेतु सर्वसुविधायुक्त आवास गृह उपलब्ध कराना, के प्रस्ताव दिए गए हैं ।

अमरकंटक विकास योजना म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) के प्रावधानान्तर्गत आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-93-2004-32 दिनांक 9.5.2005 के द्वारा अनुमोदित होकर प्रभावशील की गई है । इस विकास योजना के क्रियान्वयन से निसंदेह नगर का समानुपातिक नियोजित विकास होगा । उक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन में क्रियान्वयन संस्थाओं का योगदान अपेक्षित है ।



(अरुण कोचर)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

म.प्र. भोपाल

अमरकंटक विकास योजना

योजना दल

अपर संचालक
रेखा शर्मा

संयुक्त संचालक
पी. एन. मिश्रा

उप संचालक

जे. पी. सिंह

व्ही. के. शर्मा

सहायक संचालक
नजमा नबी

कर्मचारी-गण
जमाल किदवई

एम. बी. सिंह
एस. पी. वर्मा
आर. पी. मिश्रा
एम. ए. खान
व्ही. पी. शुक्ला
बुद्धदेव सिंह
राममनोहर पटेल

लीलम्मा सी
इन्दु त्रिपाठी
नसीम इनाम
जयंत शील
एस. ए. हुसैन
पी. एस. बातव
अरूण बराडपांडे

अन्य सहयोगी
अजय अग्रवाल

एल. एच. सिद्दीकी
रामसजीवन कौल

ज्योति कुलकर्णी
आर. पी. नामदेव

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	
योजना दल	
विषय सूची	(i)
मानचित्रों की सूची	(iv)
सारणी सूची	(v)

प्रथम-भाग समस्याओं का विश्लेषण

अमरकंटक एवं उसका परिवेश

अध्याय-1

1.1 परिचय	1-9
1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
1.3 निवेश क्षेत्र	2
1.4 क्षेत्रीय स्थिति	3
1.5 अमरकंटक बायोस्फियर्स रिजर्व	4
1.6 आवागमन की सुविधायें	4
1.7 प्राकृतिक ढलान एवं जलवायु	4
1.8 जनसंख्या का स्वरूप	5
1.9 व्यावसायिक संरचना.	5
	6

पर्यटक रूपरेखा एवं अधोसंरचना

अध्याय-2

2.1 नगरीय परिदृश्य	11-17
2.2 पर्यटन परिदृश्य	11
2.3 व्यावसायिक गतिविधियां	11
2.4 नगरीय सुविधाएं	14
2.5 नगरीय अधोसंरचना	14
2.6 भूमि उपयोग उपयुक्तता	15
	16

वर्तमान भूमि उपयोग		
अध्याय-3		19-24
3.1	भूमि स्रोत एवं वर्गीकरण	19
3.2	वर्तमान भूमि उपयोग वर्गीकरण	19
3.3	भूमि उपयोग दर	21
3.4	भूमि उपयोगों का आपसी संबंध	22
3.5	असंगत भूमि उपयोग	22

भाग-दो
नियोजन प्रस्ताव

नियोजन रूपरेखा एवं भावी आवश्यकताएँ		
अध्याय-4		27-32
4.1	नियोजन रूपरेखा	27
4.2	योजना आंकलन अवधि	27
4.3	अनुमानित पर्यटक	27
4.4	अनुमानित जनसंख्या	28
4.5	आवास गृहों की आवश्यकता का आंकलन	29

प्रस्तावित भूमि उपयोग		
अध्याय-5		33-40
5.1	योजना अवधारणा एवं भावी कार्यकलाप	33
5.2	विकास केन्द्र	33
5.3	भूमि उपयोग संरचना	33
5.4	प्रस्तावित भूमि उपयोग	34
5.5	पर्यटक अधोसंरचना	37
5.6	असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना	39

विकास नियमन		
अध्याय-6		41-56
6.1	प्रवृत्तशीलता एवं क्षेत्राधिकार	41
6.2	परिभाषाएं	43

6.3	भूमि उपयोग परिक्षेत्र नियमन	43
6.4	वाणिज्यिक उपयोग हेतु नियमन	48
6.5	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक उपयोग परिसर	49
6.6	सामाजिक अधोसंरचना हेतु मापदंड	50
6.7	आमोद-प्रमोद से संबंधित उपयोग	51
6.8	तीर्थ यात्री/पर्यटक व्यवस्था हेतु मार्गदर्शिका	51
6.9	यातायात एवं परिवहन उपयोग परिसर	51
6.10	कृषि उपयोग परिक्षेत्र	51
6.11	अन्य उपयोग गतिविधियों के नियमन	52
6.12	वाहन विराम मापदंड	53
6.13	संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन	54
6.14	नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों हेतु नियमन	55
6.15	विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया	55
6.16	विकास योजना के प्रस्तावों की प्रप्ति हेतु प्रक्रिया	56

विकास योजना का क्रियान्वयन

अध्याय-7

57-66

7.1	विकास योजना का कार्यान्वयन	57
7.2	योजना क्रियान्वयन की नीति	58
7.3	पर्यावरण प्रबन्धन एवं संरक्षण कार्यक्रम	58
7.4	नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना	59
7.5	प्रथम चरण विकास योजना कार्यक्रम	62
7.6	पर्यावरण संरक्षण	63
7.7	योजना पर्यवेक्षण तंत्र	65
7.8	पर्यवेक्षण समिति का गठन	66
7.9	योजना की व्याख्या	66

परिशिष्ट

67-81

मानचित्रों की सूची

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
1.1	निवेश क्षेत्र	3 (अ)
1.2	क्षेत्रीय स्थिति	4 (अ)
1.3	स्थल आकृति एवं बहाव	5 (अ)
2.1	दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल	12 (अ)
3.1	वर्तमान भूमि उपयोग	20 (अ)
3.2	वर्तमान यातायात संरचना	22 (अ)
5.1	विकास योजना	35 (अ)
5.2	प्रस्ताविक परिभ्रमण संरचना	38 (अ)
7.1	प्रथम चरण	64 (अ)

सारणी सूची

सारणी क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1-सा-1	निवेश क्षेत्र	3
1-सा-2	जनसंख्या वृद्धि	6
1-सा-3	व्यावसायिक संरचना	7
1-सा-4	व्यावसायिक इकाइयां एवं कार्यरत श्रमिक	8
2-सा-1	तीर्थयात्रियों का आगमन	13
3-सा-1	भूमि संसाधन	19
3-सा-2	वर्तमान भूमि उपयोग	20
3-सा-3	असंगत भूमि उपयोग	23
4-सा-1	अनुमानित तीर्थ यात्री (2015)	28
4-सा-2	आवास इकाइयों की आवश्यकता	29
4-सा-3	लोक वाहन यातायात	30
4-सा-4	शैक्षणिक संस्थायें	31
5-सा-1	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भूमि आवंटन (2015)	34
5-सा-2	प्रस्तावित यातायात संरचना	38
5-सा-3	असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना	39
6-सा-1	आवासीय भू-खण्डों के विकास मापदंड	45
6-सा-2	नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु मापदण्ड	46
6-सा-3	निर्मित (आवासीय) क्षेत्र के विकास मापदण्ड	47
6-सा-4	आवासीय परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग	47
6-सा-5	वाणिज्यिक परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग	49
6-सा-6	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिसर में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.	49
6-सा-7	सेवा सुविधाओं हेतु मापदंड	50
6-सा-8	वाहन विराम के मापदण्ड	53
7-सा-1	विकास योजना क्रियान्वयन लागत (अनुमान)	57
7-सा-2	प्रथम चरण कार्यक्रम एवं अनुमानित व्यय	63

अमरकंटक एवं उसका परिवेश

1.1 परिचय

भारतीय विरासत को अपने निरंतर सृजनशील निनाद एवं अपनी अमृतमयी धारा से प्रोज्ज्वल करने वाली मेकलसुता महियसी नर्मदा की उपत्यका अतीत की तरह ही वर्तमान में भी अमरकंटक में देखी जा सकती है। यही कारण है कि इस पर्वत शिखर का गुरुत्व अर्वाचीन भारतीय जीवन एवं दर्शन से भरा पूरा है। यह पर्वतांचल विन्ध्य पर्वत का अति प्राचीन वन प्रदेश है। जिसका उन्नत भाग हिमालय से भी अधिक प्राचीन है। जिस स्थल से विन्ध्य तथा सतपुड़ा पर्वत की सुरम्य श्रृंखलाएं आरम्भ होती हैं। उसकी चोटी समुद्र तल से 3500 फिट ऊंची हैं, और यही चोटी अतीत का मैकल एवं वर्तमान का अमरकंटक है।

अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। जनश्रुति के अनुसार नर्मदा का जन्म महादेव की तपस्या के दौरान उत्पन्न पसीने के कणों से हुआ। अमरकंटक प्राचीन ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। इसकी पुष्टि प्राचीन कालीन जीवाश्यों के नर्मदा नदी में मिलने से भी होती है। तपस्या के लिए कष्ट एवं अमरता दोनों की ही आवश्यकता होती है। इसी कारण इस स्थान का अमरकंटक नामकरण तपः पूत ऋषियों द्वारा दिया गया होगा। नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में सद्ज्ञान की गायत्री धारा इड़ा नाड़ी के रूप में माई की बगिया से नर्मदा कुण्ड तक स्थित है। पिंगला की प्रतीक सावित्री धारा यंत्र मंदिर से नर्मदा कुण्ड तक विद्यमान है। इन दोनों के मिलन केन्द्र नर्मदा कुण्ड से नर्मदा नदी के उद्गम स्थल को सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित कुण्डलिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन ग्रन्थों में गंगा, यमुना एवं सरस्वती नदियों को क्रमशः इड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस कारण अमरकंटक में इन तीनों पवित्र नदियों की सूक्ष्म उपस्थिति भी दृष्टिगोचर होती है।

अनूपपुर जिले का यह अमरकंटक केवल नर्मदा के उद्गम स्थल होने के कारण ही तीर्थ नहीं है, बल्कि यहां उस नर्मदेव सभ्यता तथा हमारे पूर्वजों के साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति, अर्थनीति एवं समाजशीलता का भी महातीर्थ है, जिसके द्वारा हम सम्पूर्ण विश्व की दृष्टि में गौरान्वित हैं। नर्मदा मध्यप्रदेश की वह ममतामयी पर्वतीय नदी है, जिसके अक्षय जल धारा से मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात के भू-भाग अभिसिंचित हैं। इस नदी का अथाह जल विस्तार, श्रमहारी, शान्ति परिवेश, और पुलिन्द तथा स्वर कन्याओं की जलक्रीड़ाएँ, आदि कवियों से लेकर आधुनिक कवियों की दृष्टि को भी आनन्द विमुग्ध किये हैं। कदाचित इस नदी की इन्हीं विशेषताओं के कारण मध्यप्रदेश सरकार ने भी इसके उद्गम स्थल अमरकंटक को पवित्र नगरी घोषित कर पुरातत्ववेत्ताओं, विद्वानों तथा पर्यटकों का ध्यान इस प्रदेश की संस्कृति, कला, साहित्य दर्शन एवं आर्थिक-सामाजिक संरचना की ओर विशेष रूप से आकर्षित करने का प्रयास किया है। विन्ध्याचल की इस उपत्यका में प्रागैतिहासिक युग के विकासशील मानवीय संस्कृति तथा आर्य संस्कृति की महासुन्दर लौ समाई हुई है। अमरकंटक क्षेत्र का भ्रमण करने पर यहां के मैकल पर्वत श्रेणियों के घनघोर वन, नर्मदा एवं सोन नदियों का उद्गम एवं कर्ण मंदिर परिसर देखने पर यह अनुमान होता है कि यहां की सभ्यता कभी अत्यधिक विकसित रही होगी। अमरकंटक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्म की वह भूमि है, जहां समष्टि का विराट व्योम इसकी महानियता के वैशिष्ट्य को स्वीकार कर नतमस्तक होता है। इसके हृदय में फूटने वाली नर्मदा की धारा में वह एकात्म भाव निनाद है, जिसके मूल में आध्यात्म जगत का ॐकार पीठ स्थापित है।

रामायण में मैकल पर्वत का नाम ऋक्ष पर्वत तथा नर्मदा नदी का नाम सुरसा नदी के रूप में उल्लेख किया गया है। शंकराचार्य ने नर्मदा नदी के किनारे सन्यास लेकर अमरकंटक में आकर नर्मदा मूल की स्थापना तथा महादेव की स्थापना की थी, जो आज पातालेश्वर के नाम से विख्यात है।

किंवदंती है कि महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर वनवास के समय अपने भाइयों के साथ यहां आये थे, तथा कुछ समय निवास करके महर्षि मार्कण्डेय के आश्रम में पहुंचकर नर्मदा उद्गम से लेकर समुद्र संगम तक भ्रमण किया। पुराण कथा के अनुसार अमरकंटक चन्द्रिका पीठ के नाम से विख्यात है। पुराण कथा के अनुसार महानदी का उद्गम भी यहीं से माना गया है।

भारत सरकार के भू-गर्भ विभाग ने इस पर्वत को रत्नगर्भा कहा है क्योंकि यहां के एल्यूमीनियम (उत्खनन द्रव्य) का रत्न से भी अधिक मूल्यांकन किया है। बॉक्साइट की प्रमुखता से यहां पर लेटेराइट, ग्रेनाइट एवं डोलोमाइट भी आंशिक रूप से पाया जाता है।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

यहां के प्राचीन मंदिर ग्यारहवीं शताब्दी में चंद्रिवासी राजा कर्णदेव (1042-1073) द्वारा निर्मित किये हुये कहे जाते हैं। यहां का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कर्णेश्वर है जिसका निर्माण राजा कर्णदेव द्वारा किया गया था। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित कपिल धारा प्रपात में पाण्डवों के भाई भीमसेन के एक पैर का चिन्ह होना भी लोग बताते हैं और उसका दर्शन करते हैं। इसी काल में यहां और भी कई मंदिरों का निर्माण किया गया था। इन मंदिरों की रचना शैली विचित्र है। यहां पर एक दूसरे में संयुक्त तीन मंदिर हैं। इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि तीनों मंदिरों के गुम्बज एक ही कर दिये जाने वाले थे तथा तीनों के मध्य का आंगन भजन-कीर्तन आदि के लिये रखा जाने वाला था। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्भाग्यवश गुम्बद का निर्माण नहीं किया जा सका।


अमरकंटक के दर्शनीय स्थानों में सोन प्रपात, कपिलधारा अत्यन्त रमणीय माना गया है। पुराण कथा के अनुसार अमरकंटक चन्द्रिकापीठ के नाम से विख्यात है, रामायण काल में यह स्थान “ऋषभ” के नाम से जाना जाता था। जनश्रुति के अनुसार लंकापति रावण एक बार अपने पुष्पक विमान से मैकल पर्वत (अमरकंटक) के ऊपर से जा रहा था। उसी समय उसकी दृष्टि नीचे बिखरे प्राकृतिक सौंदर्य पर पड़ी। चारों ओर की प्राकृतिक मनमोहनीय छटा को देखकर उसका मन मुग्ध हो गया एवं उसने यहां कुछ दिन रुककर आराधना, तप किया।

मैकल पर्वत के ऊपर रमणीय प्रदेश में कबीर चबूतरा है। जनश्रुति के अनुसार ऐसा सुनने को मिलता है कि संत कबीर यहां आकर रहे थे। संत कबीर की 600 वीं जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर मध्यप्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका “संत कबीर और उनकी वाणी” में इस बात का उल्लेख है। यह स्थान अमरकंटक से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा यहां पर (छत्तीसगढ़ में) कबीर-नानक नाम से कुण्ड एवं कबीर चबूतरा है। इस पुस्तिका में यह भी बताया गया है कि प्रचलित मान्यता के अनुसार उस काल में यह स्थान सिद्ध पुरुषों के मिलन का केन्द्र था। संत तथा गुरुनानक देव जी की भेंट यहीं हुई थी।

श्री दिगम्बर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति द्वारा अमरकंटक में “सर्वोदय तीर्थ” जैन मंदिर अमरकंटक जिला अनूपपुर में विश्व की विशालतम अष्टधातु से निर्मित 24 टन की भगवान आदिनाथ की प्रतिमा जो विन्ध्य सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणियों के मिलन स्थल भारत के हृदय स्थल अमरकंटक में प्रतिष्ठित की गई है, यह प्रतिमा गिनीज बुक में दर्ज है।

अमरकंटक

1.1 निवेश क्षेत्र



भगवान शिव की साधना स्थली अमरकंटक के वातावरण में विद्यमान तपस्या के बीजांकुर मनीषियों को साधना हेतु आकृष्ट करते रहे हैं। मनीषियों की तपस्थली उनके नाम से पहचाने वाले स्थलों से ज्ञात होती है। नर्मदा कुण्ड (भगवान शिव) चण्डिका गुफा (माँ चण्डी) सोन एवं भद्र उद्गम (रुद्रगण) जालेश्वर एवं जुहिला उद्गम (रुद्रगण), मैकल पर्वत (रावण), परसुविनायक (भगवान परसराम) भृगुकमंडल (भृगु ऋषि), कपिलधारा (कपिल ऋषि), पातालेश्वर (आदि शंकराचार्य), रुद्रधारा (रुद्रगण), मार्कण्डेय आश्रम (महर्षि मार्कण्डेय) कबीर चबूतरा (संत कबीर), सावित्री उद्गम (माँ सावित्री) गायत्री उद्गम (माता गायत्री) वैतरणी उद्गम (माँ वैतरणी) आदि प्रमुख हैं।

1.3 निवेश क्षेत्र

प्रमुख धार्मिक स्थल एवं हिल स्टेशन होने से यहां के प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षण एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम, 1973 के अंतर्गत जिला योजना समिति, शहडोल की अधिसूचना क्रमांक 9-90/जि.यो.स./न.ग्रा.नि./शहडोल, दिनांक 19 जनवरी 2000 के द्वारा अमरकंटक निवेश क्षेत्र का गठन किया गया, जिसकी सूचना मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3-3-2000 में प्रकाशित हुई।

अमरकंटक, निवेश क्षेत्र के अंतर्गत अमरकंटक, जालेश्वर, दमगढ़ एवं उमरगोहान ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल तथा जनसंख्या निम्नानुसार है :-

अमरकंटक : निवेश क्षेत्र

1-सा-1

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	जनसंख्या (2001)
1	2	3	4
नगर पंचायत क्षेत्र			
1	अमरकंटक	2319.52	7074
2	जालेश्वर	2339.00	
(अ) नगर पंचायत क्षेत्र		4658.52	7074
ग्रामीण क्षेत्र			
1	दमगढ़	1320.80	876
2	उमरगोहान	871.09	635
(ब) ग्रामीण क्षेत्र		2191.89	1511
कुल निवेश क्षेत्र (अ+ब)		6850.41	8585

1.3.1 नगर पंचायत क्षेत्र

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक 2060, दिनांक 28 जुलाई 1975 द्वारा अमरकंटक

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था तथा शासन की अधिसूचना क्रमांक 26-एफ-3-1-18-95, दिनांक 27 मई 1995 के द्वारा साड़ा (विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण) विघटित कर नगर पंचायत का गठन किया गया. अमरकंटक नगर पंचायत क्षेत्र में अमरकंटक एवं जालेश्वर ग्रामों को सम्मिलित किया गया है. मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-2-1-2004-6, दिनांक 3-2-2004 के द्वारा अमरकंटक नगर पंचायत क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है.

1.4 क्षेत्रीय स्थिति

अमरकंटक भौगोलिक दृष्टि से अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में 22°.40' उत्तरी अक्षांश एवं पूर्व में 81°.46' पूर्वी देशांतर पर स्थित है. यह संभागीय मुख्यालय रीवा से 256 किलोमीटर, शहडोल से 106 किलोमीटर, जबलपुर से 235 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर नगर से 137 किलोमीटर एवं जिला मुख्यालय अनूपपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. अमरकंटक समुद्रतल से 1.1 किलोमीटर (1100 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है.

अमरकंटक, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 4 के अंतर्गत घोषित जबलपुर वन संपदा प्रदेश में आता है. अमरकंटक चारों ओर से कृषि तथा आर्थिक दृष्टि से आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र से घिरा हुआ है. इसके समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र विद्युत केन्द्र, खदानों से संबंधित औद्योगिक इकाइयों के विकसित होने से जिले की जनसंख्या में वृद्धि हुई है. किसी भी क्षेत्र का विकास उस क्षेत्र की भौतिक संरचना के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक प्रभाव पर निर्भर करता है. अमरकंटक, डिण्डौरी एवं बिलासपुर (छत्तीसगढ़) की सीमा से लगा हुआ है. अमरकंटक, डिण्डौरी एवं बिलासपुर जिलों के क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा के संरक्षण हेतु बायोस्फियर्स रिजर्व क्षेत्र भी प्रस्तावित है.

1.5 अमरकंटक बायोस्फियर्स रिजर्व


मध्यप्रदेश शासन की पर्यावरण सलाहकार संस्था, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भोपाल द्वारा अमरकंटक बायोस्फियर्स रिजर्व क्षेत्र के लिये पर्यावरण संरक्षण के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं. इन प्रस्तावों में पर्यावरण संरक्षण के लिये कोरक्षेत्र सेंचुरी (छत्तीसगढ़) को चिन्हित किया गया है. बायोस्फियर क्षेत्र का आबादी विकास क्षेत्र अमरकंटक नगरीय क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है. इन प्रस्तावों में मुख्यतः वनस्पतियों, वन औषधियों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं अनुसंधान पर प्रस्ताव केन्द्रित किये गये हैं. अनुसंधान एवं सुरक्षा द्वारा क्षेत्र में विलुप्त प्रायः वनस्पतियों को संरक्षित किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है. बायोस्फियर क्षेत्र का अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत चिन्हित है.

1.6 आवागमन की सुविधाएं

आवागमन की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है. यहां पर यात्री एवं पर्यटक केवल बसों या निजी साधनों के द्वारा ही पहुंच सकते हैं. रेलमार्ग द्वारा अमरकंटक अभी तक नहीं जुड़ पाया है. यहां समीपस्थ रेलवे स्टेशन पेन्ड्रा रोड और अनूपपुर है. पेन्ड्रा से यहां की दूरी 48 किलोमीटर है. रेल द्वारा आने वाले यात्री यहां पेन्ड्रा तथा अनूपपुर से अन्य साधनों जैसे बस, ट्रक व टैक्सियों के द्वारा पहुंच सकते हैं. यहां प्रतिदिन शहडोल, जबलपुर, मण्डला, अनूपपुर, डिण्डौरी, रीवा एवं पेण्ड्रा से शासकीय एवं निजी बसें आती जाती हैं.


अमरकंटक

1.2 क्षेत्रीय स्थिति



अमरकंटक

1.3 स्थल आकृति एवं बहाव



1.7 प्राकृतिक ढलान एवं जलवायु

अमरकंटक की नगरीय बसाहट कुण्ड के आसपास ही थोड़े क्षेत्रों में ही स्थित है, तथा कुछ कच्चे निर्माण दूर-दूर भी हैं। मुख्य पर्वतों की ऊंचाई से यह लगभग 60 मीटर नीचे स्थित है। इसके चारों ओर फैले हुये पर्वतों का ढाल कुण्ड की ओर है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है। अतः यह कहा जा सकता है कि पूरे क्षेत्र का सामान्य ढाल पश्चिम की ओर है। नर्मदा नदी की ओर लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर “सोनमूड़ा” नामक स्थल है। इसी स्थल से सोन और नर्मदा का उद्गम है। सोन नदी का बहाव पूर्व की ओर है। तथा आगे चल कर थोड़ी दूर पर यह लगभग 90 मीटर गहरा जलप्रपात बनाती है। यहीं पर नर्मदा नदी का उद्गम है। जो थोड़ी दूर चल कर जमीन के नीचे लुप्त हो जाता है और फिर वहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर जहां नर्मदा कुण्ड और मंदिर का निर्माण हुआ है। नर्मदा का पानी पुनः निकलता है। जो नर्मदा कुण्ड के नाम से विख्यात है। यहीं से नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। सोन नदी और नर्मदा के उद्गम स्थल मध्य मैकल पहाड़ है जिसका ढलान पूर्व और पश्चिम की ओर है। नर्मदा नदी, नर्मदा कुण्ड से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कपिल धारा नामक प्रपात का निर्माण करती है।

अमरकंटक निवेश क्षेत्र एक अलौकिक क्षेत्र है जिसके पानी का बहाव तीन नदी बेसिन क्षेत्रों नर्मदा नदी का पठार, गंगा नदी का पठार एवं महानदी के पठार की ओर प्रवाहित होता है। अमरकंटक निवेश क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थल का जलग्रहण क्षेत्र भारत का वह विराट जलग्रहण क्षेत्र है जिसका जल पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम में अरब सागर पर पहुंचता है। जलग्रहण क्षेत्रों को पृथक् करने वाली घाटी सोनमूड़ा एवं ढलान क्षेत्र जेहिला नदी के उद्गम स्थल जलेश्वर के पास स्थित है।

मैकल पर्वत की सबसे संकीर्ण घाटी सोनमूड़ा के पास है जो लगभग अमरकंटक ग्राम के पास 230 मीटर (700फीट) चौड़ी हो जाती है। उत्तर दिशा की ओर जाकर यह घाटी और अधिक चौड़ी हो जाती है। घाटी का ढाल नर्मदा नदी की ओर है। मुख्य मार्ग एवं पूर्वी पठार से दूध घाटी का दृश्यावलोकन किया जा सकता है। इस समतल पठार के पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों में सीधा ढाल तथा दक्षिण किनारे पर भी इसी प्रकार का सीधा ढाल है, इसी कारण से इस क्षेत्र में आवागमन के सीमित मार्ग उपलब्ध हो पाये हैं। पर्वत और आसपास की घाटी में पर्याप्त मात्रा में बॉक्साइट उपलब्ध है। यहां से दो किलोमीटर दूरी पर बाराती में अभी भी उत्खनन का कार्य चालू है। बॉक्साइट का उत्खनन कार्य प्रचुर मात्रा में होने से नर्मदा के जल में कमी होने की संभावना है। जिससे उत्खनन कार्य पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है।

1.7.1 जलवायु

अमरकंटक की जलवायु बहुत ही सुहावनी एवं मृदुल है। शीतकाल में विशेषतः अक्टूबर से जनवरी तक यहां बहुत ठण्ड पड़ती है। सामान्य नगरीय क्षेत्रों जैसे रीवा, जबलपुर, बिलासपुर एवं शहडोल की अपेक्षा यह स्थान अधिक ठंडा है। अमरकंटक क्षेत्र में हवा का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर रहता है। यहां का तापमान ग्रीष्म ऋतु में 30° से 35° के मध्य रहता है। शीत ऋतु में तापमान 0° से 10° के मध्य रहता है।

1.8 जनसंख्या का स्वरूप

सन् 1961 में अमरकंटक की जनसंख्या 1095 थी जो सन् 1971 में बढ़कर 2465 हो गई। इसी प्रकार 1981

में तथा 1991 के दशक में बढ़कर 5628 हो गई तथा 2001 में बढ़कर 7074 हो गई। यह वृद्धि धार्मिक गति से व्यवसाय बढ़ने के फलस्वरूप हुई है। किन्तु ग्रामों की जनसंख्या में यह वृद्धि नगण्य है। वर्ष 1981 से 1991 की कालावधि में 10.55 की जनसंख्या वृद्धि हुई है। जबकि 1971-1981 में यह वृद्धि 40 प्रतिशत हुई है, जो गत तीन दशकों में सर्वाधिक है। इसका मुख्य कारण यहां बॉक्साइट उत्खनन परियोजना का आना माना जा सकता है। निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 4 ग्रामों की वर्ष 1981-1991 में औसत जनसंख्या वृद्धि 39 प्रतिशत रही है।

अमरकंटक निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या 8585 एवं क्षेत्रफल 6850.41 हेक्टेयर है जिसमें नगर पंचायत अमरकंटक, एवं जालेश्वर सम्मिलित है। नगर पंचायत क्षेत्र का क्षेत्रफल 4658.52 हेक्टेयर तथा जनसंख्या 7074 है, शेष 2 ग्रामों की आबादी नगण्य होकर अधिकांश वनक्षेत्र होने के कारण नियोजन एवं मानव बसाहट हेतु उपयुक्त नहीं है। पर्यावरणीय क्षति को नियोजित एवं संरक्षित करने की दृष्टि से नियोजन प्रस्ताव किये गये हैं। जनसंख्या वृद्धि का विवरण सारणी 1-सा-2 में दर्शाया गया है।

अमरकंटक : जनसंख्या वृद्धि

1-सा-2

वर्ष	जनसंख्या	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3
1961	1095	-
1971	2465	125.11
1981	4465	81.13
1991	4936	10.55
2001	7074	43.31

भारत की जनगणना 2001.

1.9 व्यावसायिक संरचना

इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि का कारण साधु सन्यासी, सेवानिवृत्त लोगों का निसर्ग के प्रति आकर्षण एवं धर्म के प्रति आस्था के कारण आकर बसना है। धार्मिक एवं पर्यटक महत्व के फलस्वरूप यहां स्थाई जनसंख्या की अपेक्षा अस्थायी जनसंख्या का आगमन अधिक होता है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों का अनुपात 346 है जो 2001 में 365 हुआ है यह परिदृश्य नगर के धार्मिक महत्व के फलस्वरूप साधु महात्माओं की अधिकता अस्थाई व्यापार तथा मजदूरी के लिये पुरुषों का अपने परिवार से अलग होकर यहां आना एवं अपने जीविका का निर्वाह करना है। व्यवसाय की दृष्टि से कुल श्रमिकों में 38.08 प्रतिशत व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। द्वितीयक क्षेत्र में 12.58 तथा तृतीयक क्षेत्र में 49.34 कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत है। व्यावसायिक संरचना का विस्तृत विवरण सारणी 1-सा-3. में दर्शाया गया है।

अमरकंटक : व्यावसायिक संरचना

1-सा-3

श्रमिकों का प्रकार	कार्यशील व्यक्ति/श्रमिक			ग्राम का नाम कुल श्रमिक जनसंख्या का प्रतिशत	प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे श्रमिकों की संख्या
	पुरुष	स्त्री	योग		
1	2	3	4	5	6
(अ) प्राथमिक क्षेत्र					
1. कृषक	99	14	113	7.81	16
2. कृषि श्रमिक	74	74	148	10.23	21
3. खान में कार्यरत श्रमिक	200	90	290	20.04	41
योग . .	373	178	551	38.08	78
(ब) द्वितीयक क्षेत्र					
1. गृह उद्योग	6	16	22	1.52	3
2. गृह उद्योग को छोड़कर अन्य	-	-	-	-	-
3. निर्माण	100	60	160	11.06	23
योग . .	106	76	182	12.58	26
(स) तृतीयक क्षेत्र					
1. वाणिज्यिक क्षेत्र	440	40	480	33.17	68
2. यातायात	30	-	30	2.07	4
3. अन्य सेवायें	133	71	204	14.10	29
योग . .	603	111	714	49.34	101
महायोग (अ+ब+स)	1082	365	1447	100.00	205

(स्रोत : भारत की जनगणना 2001)

अमरकंटक : व्यवसायिक इकाइयां एवं कार्यरत श्रमिक

1-सा-4

क्रमांक	प्रकार	इकाइयों की संख्या	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत श्रमिक समूह
1	2	3	4	5
(अ)	वाणिज्य एवं व्यापार			
1	निवास की व्यवस्था (धर्मशाला)	8	40	20.00
2	विश्राम गृह	7	30	15.00
3	जलपान गृह	9	10	5.00
4	चाय पान की दुकानें	20	20	10.00
5	किराना एवं जनरल स्टोर्स	26	26	13.00
6	सब्जी की दुकान	6	16	8.00
7	केश कर्तनालय	5	10	5.00
8	दर्जी	3	6	3.00
9	मोची	3	3	1.50
10	खिलौना की दुकान	13	13	06.50
11	पूजा सामग्री	14	20	10.00
12	वाहन मरम्मत	2	2	1.00
13	साइकिल मरम्मत	4	4	2.00
	योग . .	120	200	100
(ब)	गृह उद्योग			
1	आटा चक्की	2	2	100.00
	योग . .	2	2	100.00
(स)	अन्य सेवाएं			
1	चिकित्सा केन्द्र	2	19	4.30
2	पशु चिकित्सालय	1	4	0.90
3	लोक निर्माण विभाग कार्यालय	1	8	1.81
4	स्टेट बैंक	1	6	1.36
5	नगर पंचायत	1	44	9.95
6	म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल	1	12	2.71

1	2	3	4	5
7	पुलिस थाना	1	12	2.71
8	वन विभाग कार्यालय	4	145	32.82
9	शालाएं/शा.उ.मा. विद्यालय/ अर्द्ध शासकीय/शासकीय/ केन्द्रीय (नवोदय विद्यालय)	13	155	35.07
10	पोस्ट आफिस	1	3	0.68
11	आंगनवाड़ी कार्यालय	1	5	1.13
12	भारतीय पुरातत्व विभाग	1	2	0.46
13	अनुसूचित जाति सहकारी सेवा समिति	1	5	1.13
14	फारेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल	1	15	3.39
15	शा. प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र	1	7	1.58
योग . .		31	442	100.00

पर्यटक रूपरेखा एवं अधोसंरचना

2.1 नगरीय परिदृश्य

आर्थिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से अमरकंटक का पेण्ड्रा (छत्तीसगढ़) से घनिष्ठ संबंध है। पेण्ड्रा के अतिरिक्त अनूपपुर, शहडोल, डिण्डौरी एवं बिलासपुर से भी यहां का संबंध रहता है। स्वास्थ्य सुविधाएं एवं आमोद प्रमोद के लिये भी अमरकंटक मुख्यतः पेण्ड्रा पर ही निर्भर करता है। महाविद्यालय, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा हेतु इसे अनूपपुर, बुढ़ार शहडोल एवं पेण्ड्रा पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

अमरकंटक नगर पंचायत की जनसंख्या 7074 है, जो मुख्यतः सेवा-क्षेत्र में कार्यरत है। इसे महत्वपूर्ण सेवा केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। यहां पर पीने के पानी के वितरण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, परन्तु बिजली की सुविधा उपलब्ध है।

यहां पर निम्न कार्यालय एवं संस्थायें कार्यरत हैं:—

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. नगर पंचायत, अमरकंटक | 2. बेसिक ट्रेनिंग स्कूल |
| 3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 4. कन्या क्रीड़ा परिसर |
| 5. बालक क्रीड़ा परिसर (आदिम जाति कल्याण विभाग) | 6. नवोदय विद्यालय |
| 7. वन अनुसंधान संस्था, जबलपुर | 8. शासकीय उद्यान कृषि विभाग |
| 9. पुलिस थाना | 10. शासकीय उद्यान |
| 11. पशु चिकित्सालय | 12. म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल |
| 13. भारतीय पुरातत्व विभाग | 14. फारेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल |
| 15. अनु. जनजाति सहकारी सेवा समिति | 16. भारतीय स्टेट बैंक |
| 17. डाकघर | 18. दूरभाष केन्द्र. |

2.2 पर्यटन परिदृश्य

अमरकंटक क्षेत्र के व्यावसायिक ढांचे में उद्योग एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में आंशिक परिवर्तन हुआ है। बॉक्साइट उत्खनन की लागत में वृद्धि के कारण उत्खनन में कमी आई है एवं पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के कारण व्यवसायिक गतिविधियों में परिवर्तन आया है। नगर में पर्यटन की संभावनाओं की तुलना में अधोसंरचना उपलब्ध न होने के कारण अधोसंरचना में वृद्धि के पश्चात् पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं।

प्रदेश के दो प्रमुख हिल-स्टेशनों में से अमरकंटक एक है जिसकी नैसर्गिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण

अमरकंटक को महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में विशिष्ट वनस्पतियों, वन्य जीवों एवं ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के भू-भौतिकीय स्वरूप के कारण पर्यटकों को आकर्षित करने के विभिन्न घटक उपलब्ध हैं।

2.2.1 प्रमुख दर्शनीय स्थल

अ-धार्मिक

अमरकंटक क्षेत्र एवं उससे लगे हुए क्षेत्र में अनेक धार्मिक स्थल अलग-अलग दूरी पर स्थित हैं। प्रमुख धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थलों की सूची अमरकंटक ग्राम नर्मदा मंदिर से दूरी का विवरण निम्नलिखित है :—

क्रमांक	स्थान का नाम	दूरी (कि. मी.)
1	2	3
1	नर्मदा कुण्ड का मंदिर	0.00
2	कलचुरी कालीन कर्ण मंदिर समूह	0.00
3	माई की बगिया	1.00
4	सिद्ध विनायक एवं परस विनायक	4.50
5	भृगुकमण्डल	2.00
6	धूनी पानी	2.00
7	कबीर चबूतरा	6.00
8	जालेश्वर मंदिर	10.00
9	सर्वोदय तीर्थ (जैन मंदिर)	1.00
10	जोगीपट्टी	6.00

ब-प्राकृतिक स्थल

1	बोनमूडा	1.5
2	कपिलधारा	5.00
3	दुग्धधारा	6.00
4	चण्डिका गुफा	2.00
5	जोहिला उदगम	10.00
6	गायत्री सरोवर	2.00
7	सावित्री सरोवर	2.00
8	शम्भूधारा	6.00
9	वेतरणी उदगम	2.00
10	दुर्गाधारा	5.00
11	रुद्रगंगा	5.00
12	सूर्यकुण्ड	1.00
13	कपिला उदगम	2.00
14	पंचधारा	8.00

2.2.2 पर्यटकों का आगमन

विगत कई वर्षों से अमरकंटक में आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में क्रमिक वृद्धि हुई है. वर्ष 1995 में यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या लगभग 6.23 लाख थी. तीर्थ यात्रियों की संख्या वर्ष 2001 में बढ़कर लगभग 12 लाख हो गई है. इसी प्रकार अमावस्या, सोमवती अमावस्या एवं महाशिवरात्रि पर्व पर आने-जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या लगभग इतनी ही रहती है. यहां प्रतिदिन आने वाले तीर्थयात्रियों का औसत लगभग दो हजार रहता है. अक्टूबर, नवम्बर तथा जनवरी फरवरी से अप्रैल के समय में अनुकूल मौसम के कारण पर्यटकों का आवागमन अपेक्षाकृत अधिक रहता है.

अमरकंटक एक धार्मिक महत्व का स्थान होने के साथ ही प्राकृतिक सौन्दर्य का भी स्थल होने के बाद भी यहां विदेशी पर्यटकों की संख्या नगण्य रहती है. भविष्य में यदि इस स्थान का विकास पर्यटन के दृष्टिकोण से भी किया जाये तो यह स्थान पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र बन सकता है.

अमरकंटक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव-जन्तुओं की प्रजातियां जिसमें 170 पक्षी प्रजातियां एवं 20 मछली प्रजातियां भी सम्मिलित हैं. पर्यावरण प्रेमियों के लिये आकर्षण का केन्द्र हो सकते हैं. लगभग 1000 से अधिक वानस्पतिक प्रजातियां जिसमें 100 से अधिक वनोषधि की प्रजातियां भी सम्मिलित हैं. अनुसंधान एवं पर्यावरण विदों के अध्ययन केन्द्र के रूप में विकास की संभावनाओं को आकर्षित करने में सक्षम प्रतीत होती है.

अमरकंटक : तीर्थयात्रियों का आवागमन

2-सा-1

वर्ष	तीर्थयात्रियों की संख्या लाखों में	प्रतिशत	दैनिक औसत आगमन
1	2	3	4
1995	6.23	-	1707
1996	7.91	26.97	2167
1997	8.87	12.13	2430
1998	9.44	6.43	2586
1999	10.05	6.46	2754
2000	10.96	8.30	3653
2001	12.00	8.66	4000

स्रोत—मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत, अमरकंटक.

2.3 व्यावसायिक गतिविधियां

अमरकंटक क्षेत्र में पर्यटकों की आवश्यकताओं के आधार पर उनके लिये बाजार विकसित करने की संभावना है। वन औषधियों, क्षेत्रीय हस्तशिल्प, गृह उद्योगों को प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से आने वाले पर्यटकों की मांग के अनुरूप विकसित किये जाने की प्रबल संभावना है।

2.4 नगरीय सुविधाएं

2.4.1 गृह/कुटीर उद्योग

अमरकंटक प्रक्षेत्र में पाई जाने वाली वन औषधियों को क्षेत्र में निवास करने वाली बैगा आदिवासियों की सहभागिता से औषधियों के उत्पादन एवं पैकेजिंग केन्द्र के रूप में विकसित होने की सम्भावना रखता है। विगत दशकों में वन औषधियों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मांग बढ़ी है। अतः इस क्षेत्र में वन संपदा आधारित कुटीर उद्योग के विकास द्वारा जनजाति के जीवन स्तर एवं आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाना संभव है।

अमरकंटक के संरक्षित, वन एवं राजस्व वन क्षेत्र जो कुल निवेश क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक भू-भाग पर वन क्षेत्र होने से वनाधारित गतिविधियां के विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। अधिक भू-भाग पशुपालन, डेयरी उत्पाद तथा आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण की प्रबल संभावनाओं के कारण इस प्रयोजन हेतु भूमि सुरक्षित रखी जाने की आवश्यकता है ताकि वनसंपदा आधारित कुटीर उद्योगों के विकास से आदिवासी परिवार जो बेरोजगारी के शिकार हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

2.4.2 पर्यटक आवास

तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिये यहां वर्तमान में पर्याप्त संख्या में आवास नहीं हैं। यहां एक शासकीय विश्रामगृह, पर्यटन विभाग एवं नगर पंचायत का एक-एक विश्रामगृह है। यहां पर कल्याण आश्रम, मार्कण्डेय आश्रम, बरफानी आश्रम, गायत्री शक्तिपीठ, रामकृष्ण आश्रम, राज-राजेश्वरी आश्रम, गुरुद्वारा एवं सर्वोदय तीर्थ (जैन मंदिर) में पर्यटकों को रुकने के लिये कमरे एवं पलंगों की व्यवस्था है। हॉल में रुकने की व्यवस्था लगभग सभी आश्रमों में उपलब्ध है। इस व्यवस्था के अनुसार लगभग 5000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिये जगह उपलब्ध है। जबकि आश्रमों में पलंगों की संख्या लगभग 500 है।

2.4.3 सूचना केन्द्र

तीर्थ यात्रियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु यहां पर कोई सूचना केन्द्र नहीं हैं। तीर्थयात्रियों को यहां के विभिन्न धार्मिक स्थलों से संबंधित एवं अन्य जानकारी आश्रमों एवं धर्मशालाओं से प्राप्त हो पाती है। अतः यहां पर विभिन्न सूचना बोर्ड स्थलों पर प्रदर्शित करने एवं प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइडों की भी आवश्यकता परिलक्षित होती है।

2.5 नगरीय अधोसंरचना

क्षेत्र में फैले विभिन्न धार्मिक स्थलों तक आने जाने के लिये यहां उपलब्ध अधोसंरचना अपर्याप्त है। सड़कें विकसित न होने के कारण कई स्थलों पर पहुंचना दुर्गम है। वाहन पर्यटक स्थलों तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिन स्थलों तक सड़कों का निर्माण हो गया है, वहां के लिये स्थानीय वाहन के रूप में बस एवं टैक्सियां उपलब्ध हैं, किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। विशेषकर पर्वों के अवसर पर यात्रियों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वर्तमान बस स्थानक पर 12 बसें खड़ी होने का स्थान है। वर्तमान बस स्थानक का समुचित विकास किया जाना आवश्यक है ताकि पर्व के समय तीर्थयात्रियों को उचित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके।

2.5.1 जल आपूर्ति

यहां जल आपूर्ति नल एवं कुयें द्वारा होती है। नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में 94000 गैलन जल ट्यूबवेल द्वारा प्रतिदिन वितरित किया जाता है। जो यहां के निवासी एवं आनेवाले यात्रियों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अमरकंटक क्षेत्र का अधिकांश भाग लेटेराइट बॉक्साइट एवं लावा डिपोजिट क्षेत्र होने से यहां की भूमिगत जल संग्रहण क्षमता नगण्य है। अतः निवेश क्षेत्र में जलग्रहण क्षेत्र सतही छोटे बांधों एवं तालाबों के द्वारा भविष्य की आपूर्ति की मांग को पूरा किया जाना संभव है।

2.5.2 सतही जल निकास

अमरकंटक क्षेत्र का जल प्राकृतिक नालों में प्रभावित होकर नदी में पहुंचता है। वर्षा के मौसम में बॉक्साइट खदान क्षेत्र से प्रवाहित होकर आने वाला पानी नदी में पहुंचने के कारण जल को प्रदूषित करता है। आबादी क्षेत्र में जल निकास के लिये भूमिगत नालियों एवं सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। जिससे फलस्वरूप निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है जो स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण हेतु एक प्राथमिक आवश्यकता है।

2.5.3 विद्युत्

विद्युत् आपूर्ति मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल द्वारा की जाती है। जो आवश्यकता के अनुरूप होकर पर्याप्त है। जिससे नियमित पूर्ति के अलावा मेले के समय भी अतिरिक्त विद्युत् प्रदान की जाती है।

2.5.4 स्वास्थ्य केन्द्र

यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। जहां पर यहां की स्थाई जनसंख्या के साथ-साथ तीर्थयात्रियों को भी स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होती हैं। पर्वों के अवसर पर अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्रों की उचित व्यवस्था की आवश्यकता है। चन्द्राचार्य धर्मार्थ चिकित्सालय, ट्रस्ट द्वारा संचालित है। तीन धर्मार्थ औषधालय संचालित हैं। एक शासकीय पशु चिकित्सालय है। अमरकंटक हिल स्टेशन होने से प्राकृतिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास की प्रचुर संभावनायें हैं। उसके कारण पर्यटकों को यहां पर नैसर्गिक लाभ के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ कराया जा सकेगा। अतः नगरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा प्राकृतिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास के लिये भी भूमि का प्रावधान किया जाना उचित होगा।

2.5.5 आरक्षी केन्द्र

वर्तमान में एक ही आरक्षी केन्द्र है। जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने में कठिनाई होती है। धार्मिक स्थल समूहों के मध्य एक पुलिस चौकी स्थापित की जाना चाहिए। मेले के अवसर पर तीर्थयात्रियों की संख्या के आधार पर आयोजन अवधि के लिये सामाजिक संगठन एवं पुलिस सुरक्षा केन्द्रों की व्यवस्था होना आवश्यक है।

2.5.6 डाक-तार एवं दूरभाष

वर्तमान में यहां पर एक डाकघर, तारघर तथा दूरभाष केन्द्र हैं। इससे मिलने वाली सुविधाएं अपर्याप्त हैं एवं पर्यटन स्थल भी अपेक्षानुरूप नहीं है। अमरकंटक के पर्यटन एवं धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाना आवश्यक है।

2.5.7 पेट्रोल पम्प

अमरकंटक क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति के हेतु एक पेट्रोल पंप उपलब्ध है।

2.5.8 आमोद प्रमोद केन्द्र :

धार्मिक एवं नैसर्गिक स्थल होने के बावजूद अमरकंटक में आमोद-प्रमोद की ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे परिवार के सभी वर्ग का मनोरंजन हो सके तथा वहां उनके ठहरने की अवधि अधिक हो सके। वर्तमान नौका विहार व्यवस्था पर्यटकों की दृष्टि से अपर्याप्त है। गायत्री सरोवर से संलग्न पहाड़ी स्थल को विकसित किए जाने के साथ-साथ कपिल धारा, दुग्धधारा स्थलों को भी पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र के रूप में विकसित करने की संभावना विद्यमान है।

2.5.9 शिक्षा

अमरकंटक में एक प्राथमिक शाला संचालित है। आदिवासी बच्चों हेतु पृथक् से आदिवासी शिक्षा केन्द्र भी संचालित है। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये यहां पर नवोदय विद्यालय, कल्याणिका शिक्षा निकेतन, सरस्वती शिशु मंदिर आदि शिक्षा केन्द्र संचालित हैं। अमरकंटक में 50 कि. मी. दूर तक के बच्चे शिक्षा अध्ययन हेतु बस के माध्यम से आते-जाते हैं। नवोदय विद्यालय एवं कल्याणिका शिक्षा निकेतन आवासीय स्कूल हैं। अमरकंटक गुणात्मक विशेष पब्लिक स्कूल के रूप में आवासीय विद्यालय परिसर के विकास हेतु पूर्णतः उपयुक्त है।

2.6 भूमि उपयोग-उपयुक्तता

अमरकंटक निवेश क्षेत्र की भूमि को तीन प्रमुख भागों में रखा गया है।

2.6.1. संरक्षित क्षेत्र

इसमें संरक्षित वन क्षेत्र, जल भण्डार क्षेत्र, नदियां, नाले तथा पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र सम्मिलित हैं।

2.6.2. सामान्य उपयोग क्षेत्र

इसमें अन्य वन क्षेत्र, कृषि भूमि, नर्मदा कुण्ड से कपिल धारा सड़क के उत्तर भाग का क्षेत्र जिसका ढलान नर्मदा नदी की ओर है। यंत्र मंदिर से नर्मदा कुण्ड की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर का क्षेत्र तथा माई की बगिया से नर्मदा कुण्ड तक की सड़क के दोनों ओर का क्षेत्र सम्मिलित है अतः इस क्षेत्र को आबादी से होने वाले प्रदूषित जल के उपचार की व्यवस्था करने के उपरान्त ही विकास के लिये प्रस्तावित किया जाना उचित होगा।

2.6.3. सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र

इस क्षेत्र में न्यूनतम पर्यावरण अवरोध को ध्यान में रखते हुए शासकीय भूमि एवं उत्सर्जित क्षेत्र की निजी भूमि को विकास के लिये सर्वाधिक उपयोग किया जाना उचित माना गया है। अतः ऐसी भूमि पर अधो संरचनाओं का विकास किये जाने का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान भूमि उपयोग

3.1 भूमि स्रोत एवं वर्गीकरण

अमरकंटक शहर का विकास मुख्यतः नर्मदा कुण्ड एवं नर्मदा उद्गम से कपिलधारा की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर हुआ है. नर्मदा कुण्ड के आसपास का क्षेत्र पर्यटन सुविधाओं से पूर्णरूपेण उपेक्षित है. अतिक्रमण के कारण पार्किंग स्थानों का अभाव है. स्थानीय यातायात के जनसाधनों का अभाव है. नर्मदा कुण्ड से संलग्न बसाहट के नदी, नालियों से नर्मदा नदी का जल प्रदूषित होता है. अमरकंटक निवेश क्षेत्र का 96.22 प्रतिशत भू-भाग संरक्षित वन, पहाड़ में होने के कारण विकास के लिये निवेश क्षेत्र की 3.78 प्रतिशत भूमि नगर के भावी विकास के लिये उपलब्ध है:—

अमरकंटक : भूमि संसाधन

3-सा-1

क्रमांक	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रतिशत
1	2	3	4
1	विकसित क्षेत्र	123.29	1.81
2	वन, पहाड़ी एवं जल भण्डार क्षेत्र	6569.08	96.22
3	कृषि भूमि	86.61	1.26
4	रिक्त भूमि	48.43	0.71
योग . .		6827.41	100

स्रोत—जिला कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, शहडोल.

3.2 वर्तमान भूमि उपयोग वर्गीकरण

किसी भी पर्यटन स्थल का पर्यावरण एवं पर्यटन सुविधाएं उस स्थान विशेष में विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित रूप देने पर निर्भर करती है. निवेश क्षेत्र की भूमि उपयोग संरचना का स्वरूप सामान्य नगरों के स्वरूप से भिन्न है.

किसी भी नगर का विकास योजना बनाने के पहले उसके पर्यावरण एवं उपलब्ध सुविधाओं तथा गतिविधियों का अध्ययन करना नितान्त आवश्यक है क्योंकि बिना इस अध्ययन के नगरीय समस्याओं को हल किया जाना संभव नहीं है. उक्त अध्ययन के साथ-साथ नगर के वर्तमान भूमि उपयोग का भी अध्ययन किया जाना आवश्यक है. इसी दृष्टि से निवेश क्षेत्र में भूमि के भूमि उपयोग को निम्नलिखित 10 भागों में विभाजित किया जाकर अध्ययन किया गया है.

◆ भू-उपयोग वर्गीकरण

- | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. आवासीय | 2. वाणिज्यिक | 3. औद्योगिक | 4. सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक |
| 5. आमोद-प्रमोद | 6. यातायात एवं परिवहन | 7. रिक्त भूमि | 8. वन |
| 9. जल क्षेत्र | 10. कृषि. | | |

उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर यहां के वर्तमान भू-उपयोग मानचित्रों का राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 13-2-2004 को किया जाकर नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत वर्तमान भू-उपयोग का स्थिरीकरण किया जा चुका है। निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि का सारणी क्रमांक-3 सा. 1 में विभिन्न उपयोगों में अभिलिखित निवेश क्षेत्र एवं अमरकंटक के विकसित क्षेत्र में समाविष्ट भूमि का वर्गीकरण विवरण दर्शाया गया है।

अमरकंटक : वर्तमान भूमि उपयोग


3-सा-2

क्रमांक	भूमि उपयोग	निवेश क्षेत्रफल (हेक्टर में)	विकसित क्षेत्र		भूमि उपयोग दर		
			प्रतिशत	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रतिशत	निवेश क्षेत्र	विकसित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आवासीय	22.35	18.13	19.54	16.53	2.92	2.76
2.	वाणिज्यिक	6.55	5.31	6.55	5.54	0.85	0.93
3.	औद्योगिक	2.81	2.28	2.81	2.38	0.37	0.40
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक एवं सार्वजनिक सुविधाएं.	63.24	51.29	63.24	53.51	8.25	8.94
5.	आमोद-प्रमोद	7.84	6.36	7.84	6.63	1.02	1.11
6.	यातायात एवं परिवहन	20.50	16.63	18.20	15.41	2.68	2.57
(अ)	योग (विकसित क्षेत्र)	123.29	100.00	118.18	100.00	16.09	16.71
7.	रिक्त भूमि	48.43	0.72	20.50	8.75	-	-
8.	वन क्षेत्र	6582.00	97.84	200.00	85.37	-	-
9.	जल क्षेत्र	10.08	0.15	10.08	4.30	-	-
10.	कृषि	86.61	1.29	3.70	1.58	-	-
(ब)	योग (अन्य क्षेत्र)	6727.12	100.00	234.28	100.00	-	-
	महायोग (अ+ब)	6827.41	100.00	352.46	100.00	-	-

स्त्रोत.—कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश, शहडोल.

अमरकंटक

3.1 वर्तमान भूमि उपयोग



आवासीय	
वाणिज्यिक	
औद्योगिक	
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	
सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं	
आमोद-प्रमोद	
पौद्याशाला एवं वन रोपणी	
बस स्थानक	
जलाशय	



सामान्य श्रेणी के नगरों में आबादी क्षेत्र का भाग अधिक होता है, तत्पश्चात् वाणिज्यिक एवं परिवहन एवं अन्य उपयोगों का स्थान आता है. इसके विपरीत अमरकंटक में आवासीय क्षेत्र सीमित है. खुला क्षेत्र के अंतर्गत पठार, नदी, नाले एवं वनक्षेत्र का प्रतिशत अधिक है. आबादी क्षेत्र का सीमित होने का कारण यहां जीविकोपार्जन के साधनों का अभाव है. अमरकंटक की भूमि के स्वरूप के कारण यह कृषि कार्य के लिये उपयुक्त नहीं है. पूर्व में बॉक्साइट खनिज उत्खनन उद्योग स्थापित किया गया था परन्तु अमरकंटक क्षेत्र के पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए उत्खनन कार्य अत्यन्त सीमित कर दिया गया है जिससे स्थानीय श्रमिक रोजगार विहीन हो गए हैं. आवासीय उपयोग विकसित क्षेत्र का 18.13 प्रतिशत है. वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत यहां होटलें तथा वाणिज्यिक दुकानें जो अधिकांशतः गुमटियों में संचालित हैं. जो विकसित क्षेत्र का 5.31 प्रतिशत है.

अमरकंटक प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल के साथ-साथ धार्मिक केन्द्र भी हैं. पर्वतीय स्थल पर स्थित मंदिरों एवं आश्रमों के कारण सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग आवासीय की तुलना में अधिक है. इस क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोगिता तथा आमोद-प्रमोद के साधनों का अभाव है. यातायात के अंतर्गत भी भूमि का प्रतिशत कम है. पर्यटन की दृष्टि से यहां के मार्गों का विकास किया जाना आवश्यक है.

3.3 भूमि उपयोग दर

अमरकंटक के अद्यतन केन्द्रीय भू-भाग का भूमि उपयोग वर्ष 2001 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है. वर्ष 2001 अनुसार भूमि उपयोगिता दर 16.71 हेक्टर प्रति 1000 व्यक्ति आंकी गई है. जो सामान्य पठारी नगरों की भूमि उपयोगिता दर की तुलना में अधिक है. फिर भी यहां विभिन्न प्रकार की सेवा-सुविधाओं का अभाव है.

3.3.1 आवासीय

केन्द्रीय भू-भाग में 19.54 हेक्टर आवासीय भू-क्षेत्र आता है. जिसके आधार पर आवासीय घनत्व 362 व्यक्ति प्रति हेक्टर एवं भूमि उपयोगिता दर 2.76 हेक्टर, 1000 व्यक्ति आती है. यहां के आवासों की दशा ठीक नहीं कही जा सकती है. अधिकांश आबादी क्षेत्र यहां के मंदिर समूहों के पास ही स्थित है. सन् 2001 की जनगणना के अनुसार अमरकंटक के अधिकांश आवासों में शौचालय व नालियों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. जिसके कारण यहां का पर्यावरण दूषित होता है.

3.3.2 वाणिज्यिक एवं उद्योग

वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 6.55 हेक्टर भूमि उपयोग में लाई जा रही है. जो कि कुल आबादी क्षेत्र का 5.54 प्रतिशत है. जिसके आधार पर भूमि उपयोग दर 0.93 हेक्टेयर, 1000 व्यक्ति आती है. वाणिज्यिक गतिविधियों के अंतर्गत मुख्य रूप से धर्मशालाओं, दुकानों, जलपान गृह एवं भोजनालय आदि को सम्मिलित किया गया है. तीर्थ यात्रियों के आकर्षण के कारण यहां के स्थानीय लोगों की विभिन्न धार्मिक स्थलों के निकट कुछ छोटी-छोटी दुकानें स्थित हैं, जिनमें जलपान गृह, भोजनालय, दूध, पूजन सामग्री एवं धार्मिक पुस्तकों की दुकानें आती हैं. उद्योग के अंतर्गत मुख्यतः गृह उद्योग, खिलौना एवं मूर्ति आदि कार्यरत है. उद्योग के अंतर्गत आंटे की चक्कियां हैं. यहां का व्यापारिक केन्द्र मुख्य रूप से पेंड़ा है.

3.3.3 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

अमरकंटक पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होने से यहां पर मंदिरों के अंतर्गत आने वाली भूमि का बाहुल्य है। सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग में कुल आबादी क्षेत्र की 63.24 हेक्टर भूमि उपयोग में लाई जा रही है। जो कि आबादी क्षेत्र का 53.51 प्रतिशत है। इसका प्रतिशत अधिक होने का मुख्य कारण यहां बहुत से मंदिरों का निर्माण किया गया है। मंदिर के अतिरिक्त यहां पर नवोदय विद्यालय, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, विश्रामगृह, उच्च विश्राम गृह, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, डाक व तार घर, विद्युत् कार्यालय, पुलिस थाना, वन विश्राम गृह, नगर पंचायत कार्यालय, स्टेट बैंक एवं वन प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि शासकीय संस्थायें मुख्य रूप से स्थित हैं।

3.3.4 यातायात एवं परिवहन

यहां के बिखरे हुए धार्मिक स्थानों को जोड़ने हेतु पक्की सड़कों का अभाव है। अधिकांश धार्मिक स्थल कच्चे मार्गों द्वारा जुड़े हुये हैं। एक पक्का मार्ग बस स्टैण्ड से नर्मदा कुण्ड होते हुए सोनमूड़ा तक जाता है। दूसरा मार्ग बिलासपुर-मंडला की ओर जाने वाले यात्री कपिलधारा जाने के लिये डब्लू. बी. एम. मार्ग एवं शहडोल-अमरकंटक मार्ग से जालेश्वर एवं पातालेश्वर जाने के लिए डब्लू. बी. एम. मार्ग है। नर्मदा कुण्ड से होते हुए पेन्ड्रा-शहडोल जक्शन से जैन मंदिर तक पक्का मार्ग है। पूरे निवेश क्षेत्र में लगभग 20.50 हेक्टर भूमि यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत आती है।

3.4 भूमि उपयोगों का आपसी संबंध

वर्तमान भूमि उपयोग के संबंध में देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां मंदिर समूहों के पास तीर्थ यात्रियों से संबंधित कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां के मंदिर समूहों के पास ही होटल, दुकानें, नवोदय विद्यालय, विश्राम गृह, उच्च विश्राम गृह, पुलिस थाना, नगर पंचायत कार्यालय, डाक-तार घर, बस स्टैण्ड, आदि स्थित होने के कारण यहां का भूमि उपयोग मिश्रित हैं।


सभी प्रकार की गतिविधियां एक स्थान पर केन्द्रित होने तथा क्षेत्र सीमित होने से यहां पर आने वाले तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। यहां आवास समस्या के साथ-साथ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जलाभाव की वजह से यहां के निवासियों द्वारा वर्षा के बाद जगह-जगह पर पानी को बांधकर उसी पानी का घरेलू व अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है। यहां मंदिर समूहों के पास तथा नर्मदा नदी के किनारे-किनारे छोटी-छोटी झोपड़ियां व मकान बने हुये हैं। टिकुरी टोला में एक गन्दी बस्ती स्थित है। उसे यहां से हटाकर दूसरी जगह बसाया जाना आवश्यक होगा। यहां के अधिकांश भवनों का निर्माण कच्चे तौर पर किया गया है, जिससे इस क्षेत्र को विकसित करने में कठिनाई भी नहीं होगी।

3.5 असंगत भूमि उपयोग

भूमि उपयोग के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कुछ भूमि उपयोग असंगत की श्रेणी में आते हैं। असंगत भूमि उपयोग का चयन आस-पास की गतिविधियों से आसामान्यस्यता के आधार पर किया जाता है। असंगत भूमि

अमरकंटक

3.2 वर्तमान यातायात संरचना



उपयोगों को उनके वर्तमान स्थल से अन्यत्र स्थानांतरित करना आवश्यक है. तत्संबंधी विवरण सारणी 3-सा-3 में दर्शाया गया है.

अमरकंटक : असंगत भूमि उपयोग

3-सा-3

क्रमांक	स्थान का नाम	वर्तमान स्थिति	समस्या का प्रकार
1	2	3	4
1	डाकघर के पीछे स्थित आवासीय झोपड़ियां	डाकघर के उत्तर में स्थित आवासीय झोपड़ियां	जल प्रदूषण एवं नर्मदा नदी के तट की पर्यावरणीय शोभा पर विपरीत प्रभाव.
2	बस स्टैण्ड के आसपास के रहायशी मकान, झोपड़ी व अव्यवस्थित दुकानें	बस स्टैण्ड के दक्षिण तरफ स्थित आवासीय मकान व झोपड़ियां	आवागमन में अवरोध
3	नर्मदा मंदिर एवं कर्ण मंदिर के बीच स्थित झोपड़ियां	नर्मदा उद्गम स्थल के उत्तर एवं कर्ण मंदिर के दक्षिण तरफ मार्गों के किनारे स्थित झोपड़ियां	यातायात में अवरोध
4	नर्मदा कुण्ड की चार दीवारों से लगकर बने हुए अव्यवस्थित रिहायशी मकान, धर्मशाला एवं दुकानें कार्यालय उपयोग में आने वाले शेड	नर्मदा कुण्ड की चार दीवारों के उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व तरफ निर्मित रहायशी भवन एवं कार्यालयीन शेड	नर्मदा उद्गम स्थल के पास पर्यावरणीय प्रदूषण.
5	नर्मदा नदी एवं अमरकंटक मुख्य मार्ग के मध्य स्थित भवन/संरचनाएं	नर्मदा नदी एवं मुख्य मार्ग के मध्य स्थित भवन/संरचनाएं	नर्मदा नदी में प्रदूषण एवं दृश्य का विलीनीकरण



प्राचीन मंदिर



करन मठ

भाग-दो
नियोजन प्रस्ताव

नियोजन रूपरेखा एवं भावी आवश्यकताएं

4.1 नियोजन रूपरेखा

नियोजन रूपरेखा में चिन्हित विकास उद्दीपक, विकास गतिवर्धक एवं विकास पोषक तत्वों को अमरकंटक विकास योजना के अभिन्न अंगों के रूप में समाविष्ट किया गया है।

4.1.2 विकास उद्दीपक

यह कारक अमरकंटक में विकास को उद्दीप्त करने एवं पर्यटकों को अमरकंटक की ओर प्रभावी रूप से आकर्षित करेंगे। यह कार्य क्षेत्र की सम्भावनाओं के साथ-साथ प्रस्तावित उपयोगों के लिये आवश्यकतानुसार राशि इन्वेस्ट (नियोजित) करने पर आधारित कारक होते हैं। पर्यटन विकास के लिये हॉलिडे-रिसोर्ट, जलक्रीड़ा परिसर, गोल्फ कोर्स, नौकायन, कलात्मक उद्यान आदि के विकसित किये जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं।

4.1.3 विकास गतिवर्धक

यह कारक विकास उद्दीपक के पूरक के रूप में बसाहट के विकास में गतिवर्धक का कार्य करते हैं। अमरकंटक विकास योजना में कैंम्पिंग क्षेत्रों का विकास पर्यावरण प्रोत्साहन, आधुनिक सुविधाओं का विस्तार सांस्कृतिक एवं कला केन्द्र का निर्माण, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं का उचित प्रावधान, विकास गतिवर्धक के रूप विशेष सहायक सिद्ध होगा।

4.1.4 विकास पोषक

यह कारक अमरकंटक के नैसर्गिक एवं पर्यटन स्वरूप के लिये पोषक का कार्य करेंगे, खुली क्षेत्र व्यवस्था स्थल का प्राकृतिक स्वरूप के साथ समन्वय, ग्रामीण आबादी तक पहुंच मार्गों का निर्माण एवं सड़क के किनारे हरे-भरे फूलदार पौधों का आरोपण एवं अपेक्षित सुविधाओं का विकास पोषक तत्वों के रूप में समाविष्ट है।

4.2 योजना आंकलन अवधि

नगर विकास एक निरन्तर चलने वाली चिरकालीन प्रक्रिया है। नियोजन प्रस्ताव बनाने हेतु एक आंकलन अवधि निर्धारित करना आवश्यक है। उपरोक्त अवधि के निर्धारण से विभिन्न आवश्यकताओं का अनुमान एवं आंकलन संभव है। अमरकंटक निवेश क्षेत्र के प्रस्ताव आंकलन-अवधि सन् 2015 तक के प्रस्तावों का आंकलन कर तैयार किये गये हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखा गया है कि वे प्रस्ताव भविष्य में भी उपयोगी सिद्ध हों।

4.3 अनुमानित पर्यटक

अमरकंटक धार्मिक केन्द्र के साथ-साथ पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है। विगत वर्षों में पर्यटकों की संख्या के अध्ययन से विदित होता है कि यहां पर सामान्य दिनों में पर्यटकों की संख्या 1500

से 2000 के मध्य होती है। महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया एवं सोमवती अमावस्या के पर्वों पर यह संख्या 2 से 3 लाख तक पहुंच जाती है। जबकि वर्षा के मौसम में यह संख्या घटकर 500 पर्यटक प्रतिदिन तक रह जाती है। विकास योजना के लिये तीर्थयात्रियों की संख्या का अनुमान विभिन्न संस्थाओं के साथ समन्वय के द्वारा निर्धारित की गई है।

अमरकंटक में सामान्यतः धार्मिक पर्यटक ही आते हैं। अतः विशेष रूप से कम पर्यटकों की संख्या वाले मौसम में अमरकंटक की ओर साहसिक, पुरातत्व, स्थापत्य कला में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु प्रचार एवं प्रसार किया जाना प्रस्तावित है जिससे अधिकतम पर्यटक संख्या के लिये उपलब्ध अधोसंरचना एवं सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके। प्रदेश के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के उचित दोहन हेतु एक पर्यटन नीति तैयार की जावे जिसमें जन सामान्य को इन स्थलों पर आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान पर विचार किया जाना उचित होगा साथ ही पर्यटकों की कम संख्या वाले मौसम में कैम्प, सेमीनार, सांस्कृतिक एवं लोक नृत्यों का आयोजन कर वृद्धि की जा सकती है। अमरकंटक में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या अत्यन्त कम हैं। समूह पर्यटन को बढ़ावा देने, राज्य स्तर पर पर्यटन कैम्प निर्धारित करने एवं हेलीकाप्टर द्वारा वायुमार्ग स्थापित करने पर विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि संभावित है।

नर्मदा कुण्ड क्षेत्र में रहने वाले परिवारों तथा प्रतिष्ठानों का आर्थिक तथा सामाजिक सर्वेक्षण, तीर्थयात्रियों के आवागमन संबंधी आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया है। जिसके अनुसार मूल ग्राम की आबादी धार्मिक गतिविधियों से संबंधित नहीं पाई गई, जबकि अमरकंटक बस्ती के आसपास की आबादी पूर्ण रूप से तीर्थयात्रियों पर निर्भर पाई गई है। अतः भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान मुख्यतः तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों की आवश्यकताओं तथा उनकी संख्या के आधार पर आंकलित किया गया है। जिसका विवरण सारणी 4-सा-1 में दिया गया है।

अमरकंटक : अनुमानित तीर्थयात्री (2015)

4-सा-1

क्रमांक	विवरण	अनुमानित कुल	वार्षिक		औसत दैनिक	
			पर्वों के अलावा	पर्वों के अवसर पर	कुल	सामान्य दिनों
1	2	3	4	5	6	7
1	तीर्थ यात्रियों की संख्या	10.00 लाख	5.00 लाख	5.00 लाख	2700	1300
2	प्रतिशत	100 प्रति.	50 प्रति.	50 प्रति.	-	-

स्त्रोत—नगर तथा ग्राम निवेश म. प्र. द्वारा आंकलित.

4.4 अनुमानित जनसंख्या

भविष्य की विभिन्न आवश्यकताओं का आंकलन करने हेतु अमरकंटक निवेश क्षेत्र में समाविष्ट ग्रामों की गत पांच दशकों की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर वर्ष 2015 की जनसंख्या की दृष्टि को आधार न मानकर यहां की जनसंख्या वृद्धि 30 प्रतिशत मानते हुये सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र की वर्ष 2015 की जनसंख्या 12,000 आंकी गई है। पर्यटकों की आने वाली संख्या में महाशिवरात्रि पर्व पर आने वाले पर्यटकों की संख्या एवं सोमवती अमावस्या को आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या अत्यधिक होती है। सामान्यतः हर अमावस्या का पर्व यहां मनाया जाता है,

जिसमें यात्रियों का आवागमन सामान्य दिनों से अधिक रहता है. औसतन दैनिक आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या लगभग 1300 रहती है.

4.5 आवास गृहों की आवश्यकता का आंकलन

अमरकंटक में भविष्य की आवास आवश्यकता का आंकलन 4.5 प्रति परिवार के आधार पर किया गया. वर्ष 2015 तक लगभग 1898 अतिरिक्त आवासों की आवश्यकता होगी. जिसका विवरण सारणी 4-सा-2 में दर्शाया गया है.

अमरकंटक : आवास इकाइयों की आवश्यकता

4-सा-2

क्रमांक	विवरण	वर्ष	
		2001	2015
1	2	3	4
1	जनसंख्या	7074	10,000
2	अतिरिक्त जनसंख्या	—	2,000
3	औसत परिवार आकार	5	4-5
4	अतिरिक्त परिवार	—	533
5	आवासीय इकाइयों की आवश्यकता	1615	1898
6	वर्तमान आवासीय इकाइयों के 2 प्रति. की दर से पुनर्निर्माण	283	—
योग	कुल आवास इकाइयों की आवश्यकता (पिछली कमी सहित)	1898	—

स्रोत—नगर तथा ग्राम निवेश म. प्र. द्वारा अनुमानित

4.5.1 तीर्थ यात्रियों के लिये आवास व्यवस्था

अमरकंटक में धर्मशालाओं में ठहरने वाले यात्रियों के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों में से अधिकांश तीर्थयात्री यहां एक या दो दिन से अधिक नहीं रुकते हैं. जिनके रुकने के लिये यहां पर निजी धर्मशालायें, आश्रम, सर्वोदय विश्राम गृह, तथा विशिष्ट व्यक्तियों के लिये रुकने के एस.ई.सी.एल. विश्रामगृह, हॉली-डे-होम, बालको हिण्डालको विश्रामगृह, वन विश्रामगृह, विश्रामगृह एवं उच्च विश्रामगृह की सुविधायें उपलब्ध हैं.

4.5.2 वाणिज्यिक एवं कुटीर उद्योग

अमरकंटक मुख्य बस्ती क्षेत्र में तथा ग्राम बरातीदादर में ग्रामवासियों के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुओं की

दुकानों की नितान्त आवश्यकता है. अतः इस हेतु विकास योजना में वाणिज्यिक एवं कुटीर उद्योग में नियोजन प्रस्ताव दिये गये हैं.

4.5.3 आमोद-प्रमोद

प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण होते हुए भी यहां पर आमोद-प्रमोद के स्थलों का अभाव है. अतः विकास योजना में इस हेतु प्रावधान किया जाना नितान्त आवश्यक है. यहां पर परिवार सहित आने वाले पर्यटक समूह में बच्चों के मनोरंजन के लिए नगण्य व्यवस्थाएं हैं, इस हेतु सर्वहारा मनोरंजन सुविधाओं को यह ध्यान में रखकर विकसित किया जावे ताकि उनकी ठहरने की अवधि में वृद्धि हो जिससे वहां के व्यवसायियों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके.

4.5.4 यातायात एवं परिवहन

सामान्य दिनों में यहां पर विभिन्न मार्गों से 30 नियमित बसों की आवश्यकता अनुमानित है. विशेष पर्व जैसे महाशिवरात्रि के अवसर पर 60 बसों की आवश्यकता अनुमानित है.

अमरकंटक : लोकवाहन—यातायात

4-सा-3

क्रमांक	वाहनों के प्रकार	वाहन संख्या (सामान्य दिनों में)
1	2	3
1	पर्यटक बसें	05
2	टैक्सियां	25
3	नियमित क्षेत्रीय बसें	23
	योग . .	53

पर्वों के अवसर पर वाहन विराम स्थल

पर्वों के समय विभिन्न मार्गों से आने वाले वाहनों के रुकने के लिये बस-स्टैंड के पास ही प्रावधान रखा गया है, तथा यहां पर वाहनों के रुकने के लिये है जो खुला क्षेत्र उपलब्ध है वह पर्याप्त है.

4.5.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

(अ) **शैक्षणिक सुविधायें**.—निवेश क्षेत्र की भावी जनसंख्या अनुमान को आधार मानकर विभिन्न स्तर पर शैक्षणिक सुविधाओं का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है जो निम्नानुसार है :—

अमरकंटक : शैक्षणिक संस्थायें

4-सा-4

क्रमांक	संस्था का प्रकार	प्रति संख्या (क्षेत्रफल हे. में)	संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे. में)
1	2	3	4	5
1	प्राथमिक शाला	0.6	09	05.40
2	पूर्व माध्यमिक शाला	1.0	11	11.00
3	उच्चतर माध्यमिक शाला	2.0	03	06.00

टीप.—शैक्षणिक संस्थाओं हेतु जो प्रस्ताव दिये गये हैं, इसके अंतर्गत वर्तमान शैक्षणिक संस्थाओं को भी सम्मिलित किया गया है.

(ब) **स्वास्थ्य सुविधायें**.—यहां पर प्रसूति गृह, शिशु कल्याण केन्द्र के साथ-साथ स्थानीय निवासियों एवं तीर्थ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान चिकित्सालय के अलावा एक अतिरिक्त चिकित्सालय की आवश्यकता होगी.

4.5.7 सार्वजनिक सेवायें एवं सुविधायें

(अ) **जल प्रदाय एवं जल निकास**.—वर्तमान में यहां पर जल की पूर्ति ट्यूबवेल द्वारा नलों के माध्यम से की जाती है, जो कि यहां की वर्तमान जनसंख्या के लिये पर्याप्त नहीं है. अतः भावी जनसंख्या वृद्धि एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जल प्रदाय योजना तैयार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है. कुण्ड क्षेत्र के आसपास वर्तमान में आवासीय मकान बने हैं. इनसे निष्कासित गंदा जल नर्मदा उद्गम धारा को प्रदूषित करता है. नालियों द्वारा निकलने वाले गंदे जल का शोधन कर बाग-बगीचों को सिंचित करने एवं वृक्षारोपण को सिंचित करने के उपयोग में लाया जा सकता है. अतः उक्त घरेलू जल निकास के उचित नियोजन एवं प्रबंधन को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है.

(ब) **विद्युत्**.—मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल द्वारा यहां पर विद्युत् की आपूर्ति 33 के.व्ही. विद्युत् उपकेन्द्र द्वारा की जाती है, जो कि वर्तमान में पर्याप्त है. भावी जनसंख्या एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी विद्युत् मण्डल द्वारा कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है. पर्यटन स्थल के विशिष्ट महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सभी मार्गों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था के लिए पर्यटन के घटकों पर स्थान विशेष की आवश्यकता एवं कलात्मक स्वरूप अनुसार व्यवस्था की जाना आवश्यक है.

4.5.8 अमरकंटक के विकास हेतु प्रस्तावित आवश्यक विकास कार्य

1. नर्मदा कुण्ड पर्यटन स्थल में निहित पुरातत्व एवं ऐतिहासिक महत्व के धार्मिक स्थलों एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के 500 मीटर के घेरे में किसी भी प्रकार का निर्माण निषिद्ध माना जावेगा.
 2. नर्मदा कुण्ड से लेकर कपिलधारा तक तथा सोनमूड़ा से जैन मंदिर के बीचों-बीच मध्य चिह्नित क्षेत्र में युक्तियुक्त वृक्षारोपण.
 3. मार्गों के किनारे-किनारे पेयजल एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था तथा छायादार वृक्षों का प्रावधान करना.
 4. आरक्षित/संरक्षित स्थलों का संवर्धन एवं संरक्षण तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु माई की बगिया, सोनमूड़ा कपिलधारा तथा उससे संलग्न क्षेत्रों का भू-दृश्यीकरण तथा उक्त स्थलों को पदचारी मार्गों से जोड़ना तथा साथ ही बीच-बीच में उपवन, स्वल्पाहार हेतु स्थल एवं पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु आवश्यक सीमित विकास.
 5. नदियों के दोनों ओर 30 मीटर तक के क्षेत्र को रिक्त कराकर हरित क्षेत्र के रूप में विकास.
 6. निवेश क्षेत्र में नर्मदा नदी की सफाई हेतु राष्ट्रीय नदी कार्य योजना में सम्मिलित करना.
 7. गुलबकावली एवं अन्य औषधी पौधों का वृक्षारोपण.
-

प्रस्तावित भूमि उपयोग

5.1 योजना अवधारणा एवं भावी कार्यकलाप

अमरकण्टक एक पौराणिक एवं धार्मिक स्थल है. अतः विकास की दृष्टि से योजना के अंतर्गत निम्न मूल बिन्दुओं को ध्यान में रखकर विकास योजना के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं:—

1. भौतिक एवं नैसर्गिक दैन को सुरक्षित एवं संरक्षित रख कर क्षेत्रीय भूमि उपयोग पर नियंत्रण रखना.
2. कुण्ड एवं मंदिरों के आसपास धार्मिक स्थलों का समन्वित एकीकृत विकास करना.
3. अस्थायी जनसंख्या पर आधारित व्यवसाय एवं रोजगार का प्रावधान.
4. प्राकृतिक, धार्मिक स्थलों का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास.
5. पर्यावरण एवं प्रदूषण समस्याओं को रोकने के उपाय.
6. सड़क एवं हवाई मार्ग प्रस्तावित कर यात्रियों को आकर्षित करना. मंदिर एवं नर्मदा नदी के आसपास स्थित अनियोजित विकास एवं असंगत भूमि उपयोग को स्थानान्तरित करना.
7. आमोद-प्रमोद हेतु स्थलों का विकास करना.
8. नर्मदा कुण्ड को स्वच्छ एवं यात्रियों को स्नान हेतु उचित सुविधा उपलब्ध कराना.

5.2 विकास केन्द्र

अमरकण्टक के नगरीय स्वरूप में विकास केन्द्रों का निर्माण अनिवार्य है. विकास केन्द्र एक या बहुउद्देशीय क्रियाओं द्वारा निर्मित आधारभूत एवं सहायक कार्यों के केन्द्र होंगे. साथ ही एक या बहुउद्देशीय कोर क्षेत्रों का निर्माण भी विकास केन्द्र करेंगे. मिश्रित कृषि भूमि उपयोग से क्रमिक जोन परिवर्तन कोर के रूप में रहेगा. केन्द्र बिन्दुओं के वृहद कार्य केन्द्रों के रूप विकसित होने की संभावना से यातायात को आकर्षित करेगा. अतः विकास केन्द्रों को प्राथमिक पहुंच मार्गों के समीप प्रस्तावित किया गया है. जो निम्नानुसार हैं :—

1. पर्यटन, मनोरंजन एवं शैक्षणिक केन्द्र.
2. वाणिज्यिक एवं संस्थागत केन्द्र.
3. कुटीर उद्योग एवं आवासीय केन्द्र.

5.3 भूमि उपयोग संरचना

अमरकण्टक का प्रस्तावित विकास निम्न आधारभूत बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना प्रस्तावित है :—

- (क) कुण्ड क्षेत्र के आसपास सभी तरह के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाना.
- (ख) असंगत भूमि उपयोगों को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना.

- (ग) मंदिरों व धार्मिक स्थलों का सम्बर्द्धन एवं संरक्षण.
 (घ) तीर्थ यात्रियों से संबंधित गतिविधियों हेतु समुचित स्थानों पर निर्धारण.
 (ङ) तीर्थ यात्रियों हेतु मूलभूत सेवा सुविधाओं का प्रावधान.

5.4 प्रस्तावित भूमि उपयोग

विभिन्न उपयोगों हेतु भूमि का आवंटन भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है. तथा भावी आवश्यकताओं का आंकलन यहां उपलब्ध सुविधाओं की पर्याप्तता एवं अपर्याप्तता को दृष्टिगत रख कर प्रस्तावित किया गया है. वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार अमरकंटक केन्द्रीय भू-भाग में समाविष्ट विकसित भूमि उपयोगिता दर 16.68 हेक्टर प्रति हजार जनसंख्या है. जो कि सामान्य छोटे नगरों की तुलना में अधिक है. इसका प्रमुख कारण यहां पर आश्रम, धर्मशालाओं एवं मंदिरों की बाहुल्यता है.

अमरकंटक की वर्ष 2015 की अनुमानित जनसंख्या 10,000 के लिये 44.02 प्रति 1000 व्यक्ति की दर से कुल 440.34 हेक्टर भूमि भावी विकास हेतु प्रस्तावित है. जिसमें वर्तमान विकसित भूमि 123.29 हेक्टर भी शामिल है.

5.4.1 आवासीय

आवासीय क्षेत्र हेतु यहां पर 51.39 हेक्टर भूमि आरक्षित की जाकर विकास हेतु प्रस्तावित है, जो कि कुल भूमि का 11.67 प्रतिशत है. इसके अंतर्गत वर्तमान आवासीय क्षेत्र की भूमि भी सम्मिलित है. प्रस्तावित कुल भूमि के आधार पर आवासीय भूमि का आवंटन 5.14 हेक्टर प्रति 1000 व्यक्ति मानकर रखा गया है. इसमें आवासीय भवनों के साथ-साथ कृषि, सेवा एवं तीर्थ यात्रियों से संबंधित गतिविधियों में कार्यरत व्यक्तियों के निवास स्थल भी सम्मिलित है. ग्राम बराती दादर में 31.68 हेक्टर भूमि आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है.


5.4.2 तीर्थयात्रियों हेतु प्रस्तावित आवास

यहां आने वाले तीर्थयात्रियों हेतु अस्थायी आवास के प्रस्ताव विकास योजना में दिये गये हैं. प्रस्तावित आवास व्यवस्था एवं वर्तमान में यहां पर उपलब्ध आवास व्यवस्था जैसे धर्मशाला, आश्रम, हॉलीडे होम, विश्राम गृह, उच्च विश्रामगृह, आदि से तीर्थ यात्रियों की आवास समस्या पूर्णतः हल हो जावेगी साथ ही पर्वों के अवसर पर आने वाले तीर्थ यात्री भी लाभान्वित होंगे.


अमरकंटक : प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भूमि आवंटन (2015)

क्रमांक	भूमि उपयोग	वर्तमान (क्षेत्रफल)	प्रतिशत	भूमि उपयोग दर	5-सा-1 (क्षेत्रफल हेक्टर में)		
					प्रस्तावित क्षेत्रफल	प्रतिशत	भूमि आवंटन दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	22.35	16.53	2.76	51.39	11.67	5.14
2	वाणिज्यिक	6.55	5.54	0.92	15.43	3.52	1.54


AMARKANTAK अमरकंटक
DEVELOPMENT PLAN विकास योजना




	वर्तमान EXISTING	प्रस्तावित PROPOSED	
RESIDENTIAL	[Yellow Box]	[Orange Box]	आवासीय
COMMERCIAL	[Dark Blue Box]	[Light Blue Box]	वाणिज्यिक
INDUSTRIAL	[Purple Box]	[Pink Box]	औद्योगिक
PUBLIC & SEMI PUBLIC	[Red Box]	[Light Pink Box]	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES	[Brown Box]	[Light Brown Box]	सार्वजनिक सेवायें एवं सुविधायें
TRANSPORTATION			यातायात
ROADS	[Solid Line]	[Dashed Line]	मार्ग
BUS STAND	[Circle with Line]	[Empty Circle]	बस स्थानक
HELI-PAD	[Square with Cross]	[Empty Square]	हवाई पट्टी
RECREATIONAL	[Green Box]	[Light Green Box]	आमोद प्रमोद
RESERVED FOREST	[Dark Green Box]	[Empty Box]	संरक्षित वन
AGRICULTURAL	[Light Green Box]	[Empty Box]	कृषि
WATER BODIES	[Blue Box]	[Empty Box]	जलाशय
VILLAGE BOUNDARY	[Dashed Line]	[Empty Line]	ग्राम सीमा
PLANNING AREA	[Solid Line]	[Dashed Line]	निवेश क्षेत्र



निवेश क्षेत्र



(Signature)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7	8
3	औद्योगिक	2.81	2.38	0.40	10.89	2.48	1.09
4	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	63.24	53.51	08.94	78.30	17.78	7.83
5	आमोद-प्रमोद	7.84	6.63	01.11	238.19	54.09	23.81
6	यातायात	20.50	15.41	02.57	36.54	08.30	03.65
7	सार्वजनिक सुविधाएं	-	-	-	9.60	2.18	0.96
योग		123.29	100.00	16.71	440.34	100.00	44.02

5.4.3 गन्दी बस्ती क्षेत्र का व्यवस्थापन

अमरकंटक में नर्मदा नदी के किनारे बसी निम्न अवैध झुग्गी झोपड़ियों का व्यवस्थापन बाराती दादर क्षेत्र में हुड़को कालोनी के समीप किया जाना प्रस्तावित है। झोपड़ियों के व्यवस्थापन करने के लिए कमजोर आय वर्ग के परिवारों को भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी। भूमि विकास की लागत 5 से 10 वर्षों की किश्तों में ली जाना प्रस्तावित है। आवासीय क्षेत्र में हुड़को कालोनी के समीप 30.66 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई है। यहां पर निम्न घनत्व की आवासीय इकाइयों की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है।

1. डाकघर के पीछे स्थित झुग्गी झोपड़ी
2. बस स्टैंड एवं वन परिक्षेत्र कार्यालय के पीछे स्थित झोपड़ी
3. नर्मदा मंदिर एवं कर्ण मंदिर परिसर के मध्य स्थित झुग्गी
4. नर्मदा कुण्ड की चार दीवारी से लगे हुए अव्यवस्थित रिहायशी मकान एवं कार्यालयीन शेड

5.4.4 वाणिज्यिक क्षेत्र

अमरकंटक का वाणिज्यिक क्षेत्र मुख्यतः नर्मदा कुण्ड के आस-पास स्थित है। जहां पर पर्यटकों के निवास, भोजन, पूजा सामग्री एवं प्रसाद की दुकानें संचालित होती हैं। नगर के निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी सामान्य दुकानें स्थित हैं। वर्तमान बाजार क्षेत्र नगर के नागरिकों एवं पर्यटकों की खरीददारी के लिए अपर्याप्त होने के कारण विकास योजना में 15.43 हेक्टर (3.50 प्रतिशत) वाणिज्यिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। यह वाणिज्यिक क्षेत्र नगर की अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए शापिंगमाल, मोटल एवं मल्टीप्लेक्स जैसी वाणिज्यिक सुविधाएं भी प्रस्तावित की गई हैं। इन सुविधाओं के कारण अमरकंटक के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करने एवं प्राकृतिक वातावरण का लाभ उठाने के लिये पर्यटक दो से तीन दिन तक अमरकंटक में प्रवास कर सकें।

5.4.5 औद्योगिक क्षेत्र

अमरकंटक नगर को स्वपोषित अर्थव्यवस्था के केन्द्र के रूप में विकसित करने की दृष्टि से पर्यटन के साथ ही कृषि एवं वनसम्पदा आधारित कुटीर उद्योगों के विकास के लिए 10.89 हेक्टर (2.48 प्रतिशत) औद्योगिक क्षेत्र

का विकास प्रस्तावित है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के रूप में बांस के खिलौने, दुलिया, केन के फर्नीचर, वन औषधियों का प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग आदि के लघु उद्योग धंधों का विकास प्रस्तावित है।

5.4.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सावजनिक

वर्तमान में इस उपयोग के अंतर्गत 63.24 हेक्टर भूमि उपलब्ध है जिसमें मुख्यतः धार्मिक एवं आध्यात्मिक केन्द्र स्थापित हैं। नगर में स्थित शासकीय कार्यालयों आवासीय विद्यालय, चिकित्सालय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों के निर्माण के लिए 15 हेक्टर अतिरिक्त भूमि का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित भूमि उपयोगों के विकास से नागरिकों एवं पर्यटकों की सुविधाओं में वृद्धि होकर नगर के स्तर में सुधार होगा।

5.4.7 यातायात एवं परिवहन

अमरकंटक क्षेत्र में पर्यटकों के आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अमरकंटक में विद्यमान वर्तमान मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुधार किया जाना प्रस्तावित है। परिक्रमा मार्ग एवं दर्शनीय स्थलों तक आवागमन के लिए प्राकृतिक वातावरण को अक्षुण्य रखने की दृष्टि से सौंदर्यकरण व्यवस्था सहित पदचारी मार्ग विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इन मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था भी यात्रियों के आवागमन के लिए आवश्यक है। यातायात एवं परिवहन हेतु विकास योजना में 36.54 हेक्टेयर (8.30 प्रतिशत) क्षेत्र प्रस्तावित है।

5.4.8 आमोद-प्रमोद

अमरकंटक का सम्पूर्ण क्षेत्र सुरम्य एवं मनोहरी वातावरण के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। तदपि यहाँ के निवासियों एवं पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कला केन्द्र का निर्माण व गोल्फ कोर्स, कलात्मक उद्यान, वाटरपार्क, एम्यूजमेंट पार्क, तारामण्डल आदि सुविधाएं प्रस्तावित की गई हैं, इन सुविधाओं की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नदियों के पानी की प्रदूषण मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए दी जाएगी। प्रस्तावित नियोजन क्षेत्र के लिए दी जाने वाली अनुमति गोल्फकोर्स एवं कलात्मक उद्यान को छोड़कर राजस्व वन क्षेत्र में नहीं दी जावेगी। प्रस्तावित अन्य मनोरंजन क्षेत्र के विकास में पक्के निर्माण को हतोत्साहित करते हुए क्षेत्र की सुन्दरता एवं भू-दृश्यीकरण को प्रभावित नहीं होने दिया जावेगा। इस उपयोग के अंतर्गत 238.19 हेक्टेयर क्षेत्र (54.09 प्रतिशत) रखा गया है।

5.4.9 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं

अमरकंटक क्षेत्र की नदियों के पानी की शुद्धता बनाए रखने की दृष्टि से भीड़-भाड़ वाले स्थानों एवं कमजोर वर्ग की बस्तियों के पास सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यटकों को अमरकंटक क्षेत्र की नैसर्गिक सुन्दरता के दृश्यावलोकन के उद्देश्य से "दृश्य बिन्दु" स्थलों को सार्वजनिक सुविधाएं एवं अन्य सेवाएं प्रदान करते हुए दृश्य बिन्दु स्थलों का निर्माण प्रस्तावित है। दृश्य बिन्दु स्थलों से 100 मीटर दूरी तक पक्का निर्माण निषिद्ध होगा, लेकिन 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत रेलिंग, बैंचों का निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था, साईनबोर्ड, प्रकाश व्यवस्था एवं वृक्षारोपण आदि सुविधाओं का विकास किया जावेगा। इसके लिए विकास योजना में 9.60 हेक्टेयर (3.65 प्रतिशत) क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। निम्नस्थलों को दृश्य बिन्दु स्थलों के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है :-

- | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1. सोनमूड़ा | 2. माई की बगिया | 3. सोनमूड़ा एवं माई की बगिया के मध्य |
| 4. जोहिला उद्गम | 5. सावित्री सरोवर | 6. गायत्री सरोवर |

7. कपिला उद्गम	8. वैतरणी उद्गम	9. नर्मदा सरोवर
10. कपिल धारा	11. दूध धारा	12. शम्भू धारा
13. दुर्गाधारा	14. रुद्रगंगा	15. भृगु कमण्डल
16. चन्द्रिका गुफा	17. कर्ण मंदिर	18. धुनी पानी
19. सिद्ध विनायक	20. परस विनायक	21. जालेश्वर मंदिर
22. पंचधारा	23. कबीर चबूतरा	24. जोगी पट्टी

5.5 पर्यटक अधोसंरचना

पर्यटक सुविधाओं की बहुलता एवं विविधता को दृष्टिगत रखते हुए सर्वप्रथम पर्यटकों हेतु आवश्यक सेवाओं जैसे पहुंच मार्ग, पीने का पानी, सुलभ शौचालय, बैंक पोस्ट आफिस, टेलीफोन, स्थानीय परिवहन, पर्यटक आवास एवं शापिंग के विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुये अन्य पर्यटन सुविधाओं जिनमें मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव, कैम्पिंग, खेल, कलात्मक उद्यान एवं दृश्य स्थल विकास आदि के लिये विकास योजना में प्रावधान किया गया है।

5.5.1 सुविधाजनक पहुंच मार्ग

अमरकंटक में पर्यटकों को पहुंचने के लिये सर्वप्रथम सड़क एवं रेलमार्ग की सुविधाजनक व्यवस्था हो। अतः क्षेत्र के प्रमुख नगरीय केन्द्रों जबलपुर, रीवा, कटनी एवं बिलासपुर से अमरकंटक तक क्षेत्रीय परिवहन मार्गों का गुणात्मक विकास किया जावे। रेल सुविधाओं के विस्तार के लिये अमरकंटक को अन्य पर्यटक स्थलों की श्रृंखला के रूप में समाविष्ट किया जावेगा। पृथक् से पर्यटक रेल चलाये जाने की व्यवस्था भी की जा सकती है। संभावित श्रृंखलायें निम्न प्रकार हो सकती हैं—

1. भोपाल—सांची—खजुराहो—बांधवगढ़—अमरकंटक
2. भोपाल—भेड़ाघाट—कान्हा किसली—अमरकंटक.

अमरकंटक में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के लिये राज्य स्तर पर पर्यटक कैम्प केन्द्र बनाये जाकर वहां से विभिन्न श्रृंखलाओं के माध्यम से राज्य भर में पर्यटकों को घुमाए जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अमरकंटक के लिये सबसे समीप रेलवे स्टेशन पेन्द्रा रोड है। जिसकी अमरकंटक से दूरी 45. कि. मी. है। इस रेलवे स्टेशन को यात्रियों की संख्या के आधार पर विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। पेन्द्रा रोड से अमरकंटक के सभी दर्शनीय स्थानों तक सुविधाजनक मार्गों का विकास किया जाकर मार्ग के दोनों ओर आकर्षक पौधों का रोपण किया जाना भी प्रस्तावित है।

5.5.2 स्थानीय परिवहन

अमरकंटक में स्थानीय परिवहन के साधनों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय यातायात सुविधाओं में बैट्री चलित वैन, घुड़सवारी, तांगा एवं साइकिल सुविधायें पर्यटकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इन सुविधाओं के विस्तार के लिये इस क्षेत्र के गरीब परिवारों को शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदाय किया

जाना प्रस्तावित है. अमरकंटक के पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिये यह आवश्यक है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों जैसे नर्मदा कुण्ड, माई की बगिया, सोनमूड़ा तथा कपिलधारा से कर्णमंदिर तक स्थित परिक्रमा मार्ग को फुटपाथ के रूप में पेवर लगाए जाकर आकर्षित रूप में विकसित किया जाए. इन मार्गों को प्रकाश व्यवस्था एवं फूलवाले पौधों का रोपण कर सजाया जाये इन मार्गों में यात्रियों के लिये पेयजल एवं अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जायें.

नर्मदा कुण्ड, कपिलधारा, माई की बगिया, सोनमूड़ा पर वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था एवं पर्यटकों को बैठने के लिये शेड एवं बेन्चों का निर्माण भी प्रस्तावित है माई की बगिया से सोनमूड़ा तक पहुंच मार्ग के समीप स्थित मनोरम घाटी के दृश्यों का अवलोकन करने के लिये स्थल विकास किया जाना भी प्रस्तावित है.

अमरकंटक : प्रस्तावित यातायात संरचना

5-सा-2

क्रमांक	मार्ग का विवरण	वर्तमान स्थिति/चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्ताव में प्रावधानित लम्बाई (कि.मी. में)
1	2	3	4	5
1	राज्य मार्ग	30.00	30.00	11.84 कि. मी.
2	बायपास मार्ग	—	60.00	3.96 कि. मी.
3	क्षेत्रीय मार्ग	30.00	30.00	3.75 कि. मी.
4	नगर स्तरीय मार्ग	9.00 से 15.00	12 से 18	14.96 कि. मी.
5	पहुंच मार्ग/पदचारी मार्ग	3.00 से 6.00	18.00	5.28 कि.मी.

5.5.3 प्रमुख पर्यटन प्रोत्साहन क्षेत्र

पर्यटकों की सुविधा की दृष्टि से अच्छे एवं आरामदायक आवास की कमी को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में भी पर्यटक प्रोत्साहन क्षेत्र के रूप में व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है. लेकिन इस व्यवस्था के कारण क्षेत्र के मनोरम दृश्यों एवं सुहावने मौसम एवं शान्त परिवेश को कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए. पर्यटन प्रोत्साहन केन्द्र में प्राकृतिक रिसोर्ट केन्द्र का निर्माण करते समय पक्के निर्माण को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए साथ ही क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना भू-दृश्य एवं हरित क्षेत्र भी अक्षुण्य रहना चाहिए. पर्यटन प्रोत्साहन केन्द्रों का प्रस्ताव भविष्य की पर्यटक आवास की आवश्यकताओं की प्रति पूर्ति हेतु भी किया गया है. यह पर्यटन प्रोत्साहन क्षेत्र उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, सेवा क्षेत्र एवं अन्य पर्यटन क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा. इस क्षेत्र का प्रस्ताव नर्मदा कुण्ड से बस स्टैण्ड के क्षेत्र पर पड़ रहे अत्याधिक निर्माण दबाव को कम करने में भी सहायक होगा. पर्यटन प्रोत्साहन केन्द्र सोनमूड़ा, माई की बगिया, कपिल संगम, कपिल धारा एवं जोहिला उद्गम के समीप किया जाना प्रस्तावित है.

5.5.4 कैम्पिंग क्षेत्र

यह क्षेत्र पर्यटकों के आवास का सबसे सस्ता साधन है. विशेष रूप से मेले के समय जबकि अमरकंटक क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या चरम पर रहती है. कैम्प सुविधा सबसे उपयोगी रहेगी. कैम्पिंग स्थलों का विकास स्थल की उपलब्धता, सुविधाओं की व्यवस्था एवं टेन्ट सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है.

कैम्प क्षेत्र में कुल क्षेत्र का 50 प्रतिशत स्थान समूह टेन्टों के लिये एवं 50 प्रतिशत स्थान पर्यटन टेन्टों के लिये रखा जाना प्रस्तावित है। एक टेन्ट के लिए न्यूनतम स्थान 50 वर्गफिट रहेगा समूह टेन्ट का घनत्व प्रति एकड़ में 300 से 500 व्यक्तियों के लिये होगा। कैम्पिंग साइट का न्यूनतम क्षेत्रफल दो हेक्टेयर होना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र में अधिकतम लोगों को सुविधा प्रदान की जा सके। कैम्प स्थल कम ढलान वाले क्षेत्रों में ही लगाए जायेंगे। मेले के समय कैम्पों में स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

1. पेयजल व्यवस्था
2. जल निस्तारण व्यवस्था
3. कचरादान
4. धुलाई की व्यवस्था
5. पर्यवेक्षक एवं सुरक्षा सेवायें
6. स्थल मरम्मत सेवायें
7. मनोरंजन के स्थान.

चलने-फिरने की जगह पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सहित जल-मल प्रसंशकरण यूनिट केन्द्र मल टैंकों एवं कचरे के निस्तारण की व्यवस्था, सामान्य दुकानों की व्यवस्था बड़े टूरिस्ट कैम्पों में अतिरिक्त सुविधायें जैसे कैटरिंग, मनोरंजन एवं सुख-सुविधायें आदि उपलब्ध कराई जाना भी प्रस्तावित है।

5.5.5 पर्यटन शापिंग

अमरकंटक विकास योजना में प्रस्तावित किये गये स्थायी शापिंग सुविधाओं के निर्माण के साथ ही कपिलधारा सोनमूड़ा, माई की बगिया, कपिला संगम एवं जोहिला संगम एवं नर्मदा सरोवर डेम के पास पर्यटकों की सुविधा के लिये अस्थायी शापिंग केन्द्र की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है।

5.6 असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना


भूमि उपयोग के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कुछ भूमि उपयोग असंगत की श्रेणी में आते हैं। असंगत भूमि उपयोग का चयन आस-पास की गतिविधियों से असामान्यता के आधार पर किया जाता है। असंगत भूमि उपयोगों को उनके वर्तमान स्थल से अन्यत्र स्थानांतरित करना आवश्यक है। जिसका विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:—

अमरकंटक : असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

5-सा-3

क्रमांक	स्थान का नाम	वर्तमान स्थिति	समस्या का प्रकार	प्रस्तावित स्थल	रिक्त भूमि का उपयोग
1	2	3	4	5	6
1	डाकघर के पीछे स्थित आवासीय झोपड़ी	डाकघर के उत्तर में स्थित आवासीय झोपड़ी	जल प्रदूषण एवं नर्मदा नर्मदा नदी के तट की पर्यावरणीय शोभा पर विपरीत प्रभाव.	बाराती दादर	वृक्षारोपण

1	2	3	4	5	6
2	बस स्टैण्ड के आसपास के रिहायशी मकान, झोपड़ी व अव्यवस्थित व दुकानें	बस स्टैण्ड के दक्षिण तरफ स्थित आवासीय मकान व झोपड़ियां	आवागमन में अवरोध	बाराती दादर	परिवहन/ वाणिज्यिक
3	नर्मदा मंदिर एवं कर्ण मंदिर के बीच स्थित झोपड़ियां	नर्मदा उद्गम स्थल के उत्तर एवं कर्ण मंदिर के दक्षिण तरफ मार्गों के किनारे स्थित झोपड़ियां	यातायात में अवरोध	मंदिर के आसपास ही उपलब्ध स्थल के आधार पर	फूलमाला एवं प्रसाद हेतु स्थल की उपलब्धता के आधार पर चबूतरों का निर्माण
4	नर्मदा कुण्ड की चार दीवारों से लगकर बने हुए अव्यवस्थित रिहायशी मकान धर्मशाला एवं दुकानें कार्यालय उपयोग में आने वाले शेड.	नर्मदा कुण्ड की चार दीवारों के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व तरफ निर्मित रिहायशी भवन एवं कार्यालयीन शेड	नर्मदा उद्गम के स्थल के पास पर्यावरणीय प्रदूषण	बाराती दादर	खुला क्षेत्र
5	नर्मदा नदी एवं अमरकंटक मुख्य मार्ग के मध्य स्थित भवन/संरचनाएं.	नर्मदा नदी एवं मुख्य मार्ग के मध्य स्थित भवन/ संरचनाएं	नर्मदा नदी में प्रदूषण एवं दृश्य का विलनीनीकरण	अमरकंटक मुख्य रोड के दक्षिण में.	उद्यान एवं पार्किंग हेतु.



कपिल धारा



दूध धारा

अध्याय-6 विकास नियमन

इन नियमनों का उद्देश्य अमरकंटक वासियों के जीवन स्तर में सुधार, धार्मिक/पर्यटन उन्नयन तथा यहां स्थित पुरातत्वीय महत्व के स्मारकों, हिल स्टेशन होने के कारण प्राकृतिक सौंदर्यीकरण का संरक्षण व पर्यावरण का उन्नयन करना है. नियमन निम्नलिखित गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :—

6.1 प्रवृत्तशीलता एवं क्षेत्राधिकार

1. निवेश क्षेत्र के अन्दर समस्त विकास.
2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन शामिल है तथा भूमि के व्यावसायिक उपयोग के परिपेक्ष में भूमि उपयोग.
3. समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास.
4. किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊंचाई सम्मिलित हो.
5. निवेश क्षेत्र सीमा के अन्दर भूमि का विकास, भवनों का निर्माण, परिवर्तन एवं तोड़ना.

6.1.1 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अन्तर्गत गठित क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे.
2. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतिकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जायेगा. यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में संशोधित करना पड़े ऐसे संशोधनों के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा जो कि योजना प्रस्तावों का एक भाग माना जावेगा.
3. विकास योजना मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं तथा उक्त प्रस्ताव मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किये गये हैं. उदाहरणार्थ—आवासीय परिक्षेत्र जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूह द्वारा व्याप्त भूमि, आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित है. इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाये गये हैं.
4. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में वर्तमान उपयोग हेतु यथावत रहेंगे.
5. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवाकार्य से जुड़े होते हैं. यदि झुग्गी झोपड़ी को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में सिर्फ तालाबों का जल ग्रहण क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़ शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी का व्यवस्थापन ग्राह्य होगा.

6. विकास योजना मानचित्र जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लम्बाई-चौड़ाई नापी जाये, ना ही इस मानचित्र से क्षेत्रफल को नापा जाये। लम्बाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने की कार्यवाही सर्वे मानचित्र जो 1:4,000 के माप पर हो, के आधार पर की जाये।
7. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन/परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है। किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी।
8. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएं स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा।
9. जिन अभिन्यासों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अथवा म. प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई है एवं उनकी समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है, उस दशा में यह माना जायेगा कि वह अभिन्यास विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है।
10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन, नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधियों, अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होंगे।
11. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता, अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप तथा उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होंगे।
12. भारत सरकार, संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना द्वारा संरक्षित किये गये पुरातत्वीय स्मारकों की संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक तथा उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल अवशेष नियम 1959 के अन्तर्गत निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र घोषित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस संरक्षित क्षेत्र की सीमा में खनन संक्रिया और संनिर्माण प्रतिबंधित रहेंगे।
13. भूखण्डों का अभिन्यास भवनों एवं संरचनाओं के निर्माण में विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (समान मौका, अधिकार, सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) की धारा 44, 45 एवं 46 में निहित प्रावधानों के प्रतिमानों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा दी जाने वाले अनुज्ञा में इसका प्रावधान किया जाएगा।
- 13.1 यातायात क्षेत्र में निर्माण विकलांग व्यक्तियों के हितों के अनुरूप प्रावधानों की विशेष व्यवस्था के लिए बस स्टैण्ड एवं यात्री प्रतीक्षालय में पहियादार कुर्सी के प्रवेश की उपयोगकर्ता की सुविधानुसार व्यवस्था।
- 13.2 पहियेदार कुर्सी के उपयोगकर्ता की सुविधा के अनुरूप मोड़ एवं ढलान का निर्माण।
- 13.3 सार्वजनिक भवनों में रपटों की व्यवस्था।
- 13.4 पहियेदार कुर्सी अनुकूल शौचालय की व्यवस्था

14. ऐसी अवस्था में जबकि स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र में संशोधन आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी आवश्यक संशोधन मानचित्र में अंकित किये जाएंगे.

6.2 परिभाषायें

उपयोग परिक्षेत्र—

उपयोग परिक्षेत्र से तात्पर्य प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र.

उपयोग परिसर—

उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उप विभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एवं विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिये स्पष्ट किया गया हो.

अभिन्यास—

अभिन्यास से तात्पर्य उस विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो.

परिक्षेत्रिक योजना—

निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्रावधित हो.

नगरीय ग्राम—

भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे.

नगरीय विरासत—

नगरीय विरासत से तात्पर्य ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो.

एकल/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकास—

अपने सभी समान्तर एवं ज्यामितिय बदलाव के साथ भू-खण्डीय विकास से तात्पर्य एक परिवार हेतु भूखण्डीय विकास (अभिन्यास) का भू-खण्डों में उपविभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो. ऐसे परिसर में गैरैज/गैरैजों हेतु अतिरिक्त संलग्न ब्लॉक का प्रावधान हो.

टीप.—अन्य परिभाषायें म. प्र. भूमि विकास नियम 1984 के अनुरूप होंगी.

6.3 भूमि उपयोग परिक्षेत्र नियमन

विकास योजना में जो भूमि आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक इत्यादि प्रयोजन हेतु निर्धारित की गई है वह उसी

प्रयोजन हेतु उपलब्ध हो सकेगी. वर्तमान उपयोग को विकास योजना में निर्धारित किये गये उपयोगों में तत्काल परिवर्तित करना अपेक्षित नहीं हैं. वर्तमान उपयोग अभी जारी रह सकता है वर्तमान उपयोग को केवल, निर्धारित उपयोगों में ही परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे वर्तमान में कोई भूमि कृषि के अंतर्गत हो और उसका विकास योजना में निर्धारित उपयोग वाणिज्यिक हो तो ऐसी भूमि का भू-उपयोग मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने पर ही वाणिज्यिक उपयोग हेतु किया जा सकेगा. निवेश क्षेत्र में स्थित भूमि के लिये विकास योजना में मुख्य 8 भूमि उपयोग श्रेणियों के अनुरूप निम्न उपयोग परिक्षेत्र प्रस्तावित है :—

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. आवासीय | 2. वाणिज्यिक | 3. औद्योगिक |
| 4. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक | 5. आमोद-प्रमोद | 6. यातायात एवं परिवहन |
| 7. कृषि (ग्रामीण परिक्षेत्र सहित) | 8. संरक्षित वन क्षेत्र | |

6.3.1 आवासीय परिक्षेत्र

(अ) नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन —

1. इन नियमनों के उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है. इन नियमनों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं. ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचना, जल प्रदाय, जलमल निकास आदि नगरपालिक/नगर पंचायत एवं नियमनों के अनुरूप होंगे.
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:2 तक होना चाहिए.
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भूतल आच्छादन, भवन की ऊंचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है. सारणी 6 सा 1 में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमांत खुला क्षेत्र वर्णित है. सारणी में दर्शाये भूखण्ड आकार स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है तथा भवन अनुज्ञा हेतु यह पूर्णतः विकसित होना चाहिए.
4. एक भूखण्ड में चार ईकाईयों से अधिक को समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किए गए अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जावेगी जब आवश्यक प्रावधान जैसे जल प्रदाय, जलमल निकास तथा पार्किंग की सुविधा का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवायें एवं सुविधायें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए. ऐसे भूखण्डों का आकार 288 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किया जावेंगे.
5. म. प्र. नगरपालिका कालोनाईजर रजिस्ट्रेशन निर्बंधन एवं शर्तें अधिनियम 1998 के प्रावधानों के अनुरूप कमजोर आय वर्ग हेतु भूमि आरक्षित की जावेगी.
6. म. प्र. भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट एम. (नियम 94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए.

6.3.2 आवासीय भूखण्ड विकास

भवन निर्माता को अभिन्यास तैयार करने एवं भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भूतल आच्छादन से सम्बन्धित मानकों की आवश्यकता होती है. उक्त के मापदण्ड निम्न सारणी में दिए गए हैं :-

अमरकंटक : आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

6-सा-1

क्र.	भूखण्ड का आकार मीटर में	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	विकास का प्रकार	भूतल पर निर्मित क्षेत्र %	सीमान्त खुला क्षेत्र मीटर में				अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात
					अग्र	पृष्ठ	आजू	बाजू	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	4.0×8.0	32	पंक्ति	60	1.5	1.5	0.0	0.0	0.75
2	4.0×12.0	48	पंक्ति	60	1.5	1.5	0.0	0.0	0.75
3	5.0×15.0	75	पंक्ति	60	2.0	1.5	0.0	0.0	0.75
4	7.0×15.0	105	पंक्ति	60	2.0	1.5	0.0	0.0	0.75
5	9.0×15.0	135	अर्ध पृथक्कृत	50	3.0	1.5	2.5	0.0	0.75
6	11.10×18.0	200	अर्ध पृथक्कृत	50	3.0	1.5	2.5	0.0	0.75
7	12.0×18.0	216	पृथक्कृत	50	3.5	1.5	3.0	1.5	0.50
8	12.0×24.0	288	पृथक्कृत	40	4.5	2.5	3.0	1.5	0.50
9	15.0×24.0	360	पृथक्कृत	35	6.0	2.5	3.0	3.0	0.50
10	15.0×27.0	405	पृथक्कृत	33	7.5	3.0	3.5	3.0	0.50
11	18.0×30.0	540	पृथक्कृत	33	8.0	3.0	3.5	3.0	0.50
12	20.0×30.0	600	पृथक्कृत	33	9.0	3.0	4.5	3.0	0.50
13	25.0×30.0	750	पृथक्कृत	30	10.0	3.5	4.5	4.5	0.50

टीप :-1. उपरोक्त सारणी एकल परिवार संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकास हेतु प्रस्तावित है.

- सारणी के अनुक्रमांक 1 से 4 के भूखण्ड 6 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होने की दशा में इन पर दो मंजिल आवास निर्माण अनुज्ञेय होंगे. सारणी अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है. ऐसे भूखण्ड पर स्वीकार्य आवासीय इकाइयों की गणना मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 82 द्वारा अधिशासित होंगे.

3. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र नियमित अथवा अनियमित एवं जो सारणी में दर्शाई श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, इसके पूर्व की श्रेणी के सीमान्त खुला क्षेत्र, आच्छादित क्षेत्र फर्शी क्षेत्रानुपात के साथ अथवा निवेश अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए.
4. एकल/संयुक्त परिवार के भूखण्ड पर चार आवासीय इकाइयों से अधिक स्वीकार नहीं होगी.
5. 200 वर्ग मीटर से अधिक एवं 500 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों में अधिकतम एक कर्मचारी आवास तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्ड में दो कर्मचारी आवास स्वीकृति योग्य होंगे.
6. एक कर्मचारी आवास का अधिकतम आकार 20 वर्ग मीटर होगा. जिसमें एक रहवासी कमरा 11 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्र का होगा. इसके अतिरिक्त ऐसी आवासीय इकाई में जिसमें रसोई घर, बराण्डा तथा स्नानगृह-सह-शौचालय होना आवश्यक है.
7. घनत्विय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 5 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 2.5 का रहवास माना जायेगा.
8. झुगियों की पुनर्स्थापना की दशा में 32 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भू-खण्ड स्वीकार होंगे.

6.3.3 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु मापदण्ड

नये आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत अभिन्यास रूपांकन हेतु निम्नलिखित मापदण्ड लागू होंगे :—

अमरकंटक : नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु मापदण्ड

6-सा-2

क्रमांक	आवासीय	प्रतिशत
1	2	3
1	आवासीय	40 से 50
2	वाणिज्यिक	02 से 04
3	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	06 से 08
4	परिवहन/मार्ग	20 से 30
5	आमोद-प्रमोद/खुला क्षेत्र	10
6	सेवा एवं सुविधायें	2 से 3

टीप.—अल्प आय वर्ग हेतु अभिन्यास मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम (94) के अनुसार तैयार किये जावेंगे.

आवासीय अभिन्यास में मार्ग चौड़ाई—

आवासीय अभिन्यासों में मार्गों की चौड़ाई निम्नानुसार रखी जावे :—

- खण्ड मार्ग 12.0 मीटर
- स्थानीय मार्ग 09.0 मीटर
- लूप स्ट्रीट 07.5 मीटर
- पादचारी मार्ग 04.5 मीटर

6.3.4 आबादी क्षेत्र हेतु नियमन—

निर्मित क्षेत्र में भू-खण्ड का सुव्यवस्थित तथा न्यूनतम आकार निर्धारित करना संभव नहीं है। चूंकि इस क्षेत्र में बहुत से आवासों के भू-खण्ड विभिन्न आकार के हैं। इसलिये इस क्षेत्र में रोशनदान, सूर्य का प्रकाश आदि स्वस्थ परिवेश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तावित घनत्व हेतु फर्शी क्षेत्रानुपात एवं निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो निम्न सारणी में दिया गया है :—

अमरकंटक : निर्मित (आवासीय) क्षेत्र के विकास मापदण्ड

6-सा-3

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल	भूतल पर निर्मित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4
1	100 वर्ग मीटर तक	70 प्रतिशत	1.00
2	100 वर्ग मीटर से अधिक 200 वर्ग मीटर तक	60 प्रतिशत	0.80
3	200 वर्ग मीटर से अधिक 500 वर्ग मीटर तक	50 प्रतिशत	0.75
4	500 वर्ग मीटर से अधिक	40 प्रतिशत	0.50

टीप.—(1) यहां भवन की अधिकतम ऊंचाई 6.5 मीटर से अधिक मान्य नहीं होगी।

(2) उक्त क्षेत्र के भवनों का नियंत्रण निम्नानुसार होगा :—

(अ) भू-खण्डीय विकास में भूतल पर निर्मित क्षेत्रानुपात आवासीय क्षेत्रानुपात के अनुरूप रहेगा।

6.3.5 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां—

आवासीय उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा निम्न उपयोग अनुज्ञेय होंगे :—

अमरकंटक : आवासीय परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

6-सा-4

स्वीकृत	स्वीकार्य
1	2
आवासीय भूखण्ड एवं भवन, पुलिस चौकी, शैक्षणिक (प्राथमिक शाला स्तर), सुविधा दुकानें, छात्रावास, अतिथि-गृह, बारात गृह, पुस्तकालय, उद्यान, खेल का मैदान, क्लब, सामुदायिक भवन, सेवा सुविधायें, बाल बिहार, आमोद-प्रमोद उपयोग क्लब, वाचनालय, योग केन्द्र.	स्वास्थ्य केन्द्र, आटा/मसाला चक्की, धार्मिक स्थल, सुविधा दुकानें, अल्पाहार एवं उपाहार गृह, हल्के वाहन, दो-पहिया से संबंधित रिपेयर दुकानें, संग्रहालय, प्रदर्शनी केन्द्र एवं कलावीथिका, गैस बुकिंग केन्द्र, उपभोक्ता भण्डार, बेकरी.

6.4 वाणिज्यिक उपयोग हेतु नियमन

वाणिज्यिक भूमि उपयोग अनुमति विकसित विकास हेतु नियमन निम्नानुसार होंगे :—

(अ) रूपांकन मार्गदर्शिका (वाणिज्यिक)—वाणिज्यिक क्षेत्रों के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार अनुशंसित हैं :—

1. खुला क्षेत्र :	
(अ) असंगठित	20% पार्किंग के अतिरिक्त
(ब) संगठित	10% पार्किंग के अतिरिक्त
2. सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	5 से 8 प्रतिशत
3. सार्वजनिक सुविधायें	2 प्रतिशत
4. वाहन विराम क्षेत्र	10 प्रतिशत
5. भू-खण्डीय विकास :	
— असंगठित	50 प्रतिशत
— संगठित	80 प्रतिशत
6. भवन की अधिकतम ऊंचाई	7.5 मीटर

(ख) नगर स्तर :

— भूतल पर स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र	40 प्रतिशत
-------------------------------------	------------

टीप.—दुकानों के सामने न्यूनतम 3.00 मीटर सीमान्त खुला क्षेत्र एवं तदोपरांत न्यूनतम 2.00 मीटर का गलियारा छोड़ना अनिवार्य होगा.

(ब) ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र—

पेट्रोल सेवा केन्द्रों के लिए निम्न नियमन अनुशंसित है. मार्गों के मध्य से पेट्रोल पम्प पेडस्ट्रल की दूरी भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुसार होना आवश्यक है :—

- मार्ग संगम से न्यूनतम दूरी—

(अ) 30 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग	150 मीटर.
(ब) 30 मीटर अथवा इससे अधिक चौड़ाई	250 मीटर.
- न्यूनतम भूखण्ड आकार—

(अ) ईंधन भराव केन्द्र 30×17 मीटर
(ब) ईंधन भराव-सह-सेवा केन्द्र—न्यूनतम आकार 36×30 मीटर एवं अधिकतम 45×33 मीटर.
(स) भूखण्ड का अग्र भाग 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए.
- अठारह मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गों पर नये पेट्रोल पम्प स्वीकार्य नहीं होंगे.

(स) होटल/मोटल हेतु मापदण्ड

- भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर

2. भूतल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	30 प्रतिशत
3. अधिकतम ऊंचाई	7.5 मीटर (अधिकतम)
4. सीमान्त खुला क्षेत्र—	
अग्र	12 मीटर
आजू/बाजू	4.5/4.5 मीटर
पृष्ठ	4.5 मीटर.

फर्शी क्षेत्र अनुपात का 5 प्रतिशत होटल की अनुशांगिक उपयोग में लाया जा सकेगा.

(द) वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियां—वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा निम्न गतिविधियां अनुज्ञेय होंगी—

अमरकंटक : वाणिज्यिक परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

6-सा-5

स्वीकृत	स्वीकार्य
1	2
थोक एवं फुटकर दुकानें, व्यवसायिक कार्यालय, पुस्तकालय, उपाहार गृह, वाहन मरम्मत दुकानें, विश्राम स्थल, आवास-सह-दुकानें, होटल.	पेट्रोल पम्प, क्लब, सेवा-सुविधायें, धर्मशाला, डाकघर, तारघर, संग्रहालय, पुस्तकालय एवं कर्मशाला एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 38(1) परिशिष्ट में सम्मिलित घरेलू उद्योग.

6.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग परिसर—

(1) प्रशासकीय परिसर के मापदण्ड :

— भूखण्ड न्यूनतम का क्षेत्रफल	1000 वर्ग मीटर
— भूतल पर निर्मित क्षेत्र	25 प्रतिशत
— सीमान्त खुला क्षेत्र (न्यूनतम)	अग्र 10 मीटर पार्श्व 6.0 मीटर आजू/बाजू 4.5/4.5 मीटर
— 100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र पर वाहन विराम स्थल	0.50—1.50 वर्ग मीटर
— भवन की ऊंचाई	7.5 मीटर
— फर्शी क्षेत्रानुपात अधिकतम	0.75

अमरकंटक : सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग परिसर में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

6-सा-6

स्वीकृत	स्वीकार्य
1	2
केन्द्रीय शासन, राज्य शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय, संस्थागत कार्यालय, उद्यान, विराम स्थल, गैरेज, पुस्तकालय, डाकघर, बैंक, सभागृह, पुलिस पोस्ट, सामाजिक, धार्मिक संस्थाएं, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक सेवायें.	विश्राम गृह, आवासीय भवन, सेवा दुकानें, अल्पाहार गृह, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, आश्रयगृह, अनुषांगिक आवासगृह, उपहार गृह खेल मैदान, कला केन्द्र.

(2) शैक्षणिक परिसर

शैक्षणिक परिसर/उपयोग अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियां :—

विवरण	न्यूनतम भूखण्ड (हेक्टर में)
1	2
नर्सरी स्कूल	0.1
प्राथमिक शाला	0.6
माध्यमिक शाला	1.5
उच्चतर माध्यमिक शाला	2.0

(3) स्वास्थ्य उपयोग परिसर हेतु मापदण्ड

— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	0.1 हेक्टर (न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र)
— नर्सिंग होम	0.2 हेक्टर (न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र)
— स्वास्थ्य केन्द्र	0.5 हेक्टर (न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र)
— चिकित्सालय (30 बिस्तर)	1.5 से 2 हेक्टर (न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र)

(4) आध्यात्मिक/धार्मिक सेवा परिसर हेतु मापदण्ड

— न्यूनतम क्षेत्रफल	एक एकड़
— भूतल पर निर्मित क्षेत्रफल	30 प्रतिशत
— सीमान्त खुला क्षेत्र न्यूनतम	अग्र 10 मीटर पार्श्व 4 1/2 मीटर आजू/बाजू 4 1/2 मीटर
— अधिकतम ऊंचाई	7.5 मीटर
— वाहन विराम स्थल	200 मीटर निर्मित क्षेत्र पर 13.75 वर्ग मीटर.

6.6 सामाजिक अधोसंरचना हेतु मापदण्ड

अमरकंटक : सेवा-सुविधाओं हेतु मापदण्ड

6-सा-7

क्रमांक	प्रकार	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र
1	2	3
1	आरक्षी केन्द्र	30 प्रतिशत
2	आरक्षी केन्द्र (आवास सुविधा सहित)	25 प्रतिशत
3	सामुदायिक भवन	30 प्रतिशत
4	अग्नि शमन केन्द्र	25 प्रतिशत
5	डाक व तार घर	30 प्रतिशत
6	विद्युत् भवन/केन्द्र	30 प्रतिशत
7	पुस्तकालय	30 प्रतिशत

टीप.— भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर होगी.

6.7 आमोद-प्रमोद से संबंधित उपयोग

गतिविधियों आमोद-प्रमोद से संबंधित सार्वजनिक सुविधाओं हेतु निम्नलिखित अनुषांगिक सेवाएं, उद्यान के आकार एवं प्रकार के परिपेक्ष्य में स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकेगा।

6.8 तीर्थयात्री/पर्यटक व्यवस्था हेतु मार्गदर्शिका

पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये अस्थाई स्वरूप की विभिन्न गतिविधियां इसके अंतर्गत मान्य होंगी। जिनका विकास निम्न सारणी में उल्लेखित मापदण्डों के अनुरूप किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत स्थाई निर्माण मान्य नहीं होंगे :—

अभिन्यास के मानक—

1. न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर
2. भूतल पर पर्यटन गतिविधि क्षेत्र	25 प्रतिशत
3. आमोद-प्रमोद/खुला क्षेत्र	40 प्रतिशत
4. वाहन विराम क्षेत्र	10 प्रतिशत
5. अत्यावश्यक आवास	प्रति 500 मीटर निर्मित क्षेत्र पर 20 वर्ग मीटर की एक इकाई
6. शेष क्षेत्र	परिभ्रमण एवं सेवा-सुविधाओं हेतु.

टीप.—(1) प्रत्येक भूखण्ड को व्यवस्थित पहुंच मार्ग उपलब्ध होना चाहिए.

(2) 1.50 हेक्टर से बड़े भूखण्डों पर अधिकतम 750 वर्ग मीटर भूतल पर पर्यटन गतिविधि क्षेत्र मान्य होगा.

6.9 यातायात एवं परिवहन उपयोग परिसर

यातायात से संबंधित समस्त गतिविधियां इस उपयोग परिक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे बस स्थानक मार्ग, हैलीपेड, सार्वजनिक वाहन विराम स्थल इत्यादि.

परिवहन उपयोग के मानक निम्नानुसार हैं :—

1. हैलीपेड.—विकास योजना में प्रस्तावित हैलीपेड का विकास भारतीय विमान पतनन प्राधिकरण के प्रावधानों अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है.
2. बस स्थानक.—बस स्थानक हेतु आरक्षित क्षेत्र का विकास निम्न प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा :—

(1) भूतल पर निर्मित क्षेत्र	25 प्रतिशत
(2) भवन की अधिकतम ऊंचाई	7.5 मीटर
(3) कार/टैक्सी विराम सुविधा	25 कार
(4) सीमान्त खुले क्षेत्र	अग्र 15 मीटर
अन्य तीनों ओर	9-9 मीटर

6.10 कृषि उपयोग परिक्षेत्र

(1) कृषि उपयोग परिक्षेत्र अन्तर्गत मूलतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा (2) में कृषि की परिभाषा में उल्लेखानुसार तथा भू-संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य स्वीकृत उपयोग परिसर अनुसार

होंगे। इनके अतिरिक्त कृषि उपयोग परिक्षेत्र में ऐसे क्षेत्र जो मुख्य मार्गों से लगकर 200 मीटर की गहराई तक प्रस्तावित नगरीय सीमा के बाहर निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर स्थित हैं, वहां पर्यटन आध्यात्म को प्रोत्साहन करने वाली गतिविधियां, स्वीकार्य श्रेणी के अंतर्गत मान्य होंगी। जिसकी अनुज्ञा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। इनका विकास कार्य मूल उपयोग के अंतर्गत लागू होने वाले मापदण्डों के अनुरूप ही होगा।

(2) कृषि उपयोग परिक्षेत्र में श्मशान तथा कब्रिस्तान, पशु पालन, डेयरी फार्म, मछली पालन, शीतगृह, चारागाह एवं वृक्षारोपण, कृषि यांत्रिकी एवं सुधार प्रतिष्ठान, ढाबा उपयोग परिसर नगरीय विस्तार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र से 0.5 किलोमीटर की दूरी के बाहर उन स्थानों पर प्रस्तावित किये जा सकेंगे। जहां तक पहुंचने हेतु कम से कम 7.5 मीटर चौड़े पहुंच मार्ग उपलब्ध हो सकें। इसी प्रकार एल.पी.जी. गोदाम, कोयला/लकड़ी गोदाम, ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित क्षेत्र से 0.5 किलोमीटर की दूरी के पश्चात् स्वीकार्य होंगे। नियोजन के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(3) **फार्म हाउस (वन आवास)**—विकास योजना में प्रस्तावित विकसित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा के मध्य कृषि क्षेत्र में कृषक के निजी रहवास हेतु निर्मित क्षेत्र एवं कृषि फार्म संबंधी अन्य गतिविधियां आच्छादित क्षेत्र आदि फार्म हाउस के अंतर्गत निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है। इसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :—

1. भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्ग मीटर होगा।
2. अधिकतम फर्शी हेतु अनुपात 0.10 अनुज्ञेय होगा।
3. ढलुआ छत सहित संरचना (निर्माण) की अधिकतम ऊंचाई 6.5 मीटर होगी।
4. फार्म हाउस के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 4045 वर्ग मीटर में प्राधिकारी के भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण कराना होगा। जिनका विकास एवं संरक्षण का दायित्व आवेदक का होगा।
5. फार्म हाउस केवल उसी भूमि पर अनुज्ञेय होगा, जिसके लिए सार्वजनिक मार्ग (सड़क) द्वारा पहुंच उपलब्ध हो अथवा क्षेत्र का अभिन्यास संचालक द्वारा अनुमोदित हो।
6. फार्म हाउस में सभी ओर से न्यूनतम 10 मीटर खुला क्षेत्र सीमान्त खुले क्षेत्र के रूप में होंगे।
7. फार्म हाउस से जल स्रोत प्रभावित अथवा प्रदूषित नहीं होना चाहिए। फार्म हाउस में भवन/आच्छादित/मार्ग आदि की संरचना तथा आवश्यकतानुसार समन्वित योजना नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार/अनुमोदित होगी।
8. किसी भी कृषि भूमि का भू-स्वामी उक्त मानदण्डों के अनुरूप फार्म हाउस के रूप में विकसित करने के पूर्व, नगर तथा ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त करेगा।
9. अन्य प्रावधान म. प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

6.11 अन्य उपयोग गतिविधियों के नियमन

(अ) अतिथि गृह, बोर्डिंग गृह, लॉजिंग गृह—

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. न्यूनतम भूखण्ड आकार | 50 वर्ग मीटर |
| 2. अधिकतम भू-आच्छादन | 30.0 प्रतिशत |
| 3. अधिकतम ऊंचाई | 7.5 मीटर |

4.	अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	0.75
5.	अन्य नियंत्रण— सामने की सड़क	12 मीटर

(ब) धर्मशाला, मंगल भवन एवं रात्रि विश्राम गृह—

1.	न्यूनतम भूखण्ड आकार	800 वर्ग मीटर
2.	अधिकतम भू-आच्छादन	30.0 प्रतिशत
3.	अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	0.75
4.	अधिकतम ऊंचाई	7.5 मीटर

(स) अन्य नियंत्रण :

1. सामने की सड़क की चौड़ाई (मार्गाधिकार) 18 मीटर.
2. भूतल के नीचे तलघर अधिकतम भूतल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर मान्य किया जावे, यदि इसका उपयोग वाहन विराम स्थल एवं अन्य सेवाओं हेतु किया जाता हो तो इसकी फर्शी क्षेत्र अनुपात में गणना नहीं की जावेगी.

6.12 वाहन विराम मापदण्ड—

विभिन्न परिसरों में वाहन विराम के सामान्य मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :—

अमरकंटक : वाहन विराम के मापदण्ड

6-सा-8

क्रमांक	उपयोग/उपयोग परिक्षेत्र	ई.सी.एस. प्रति 100 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल पर
1	2	3
1	आवासीय— समूह आवास, भूखण्डीय विकास (250 वर्ग मीटर से बड़े) एवं मिश्रित उपयोग	0.50—1.50
2	वाणिज्यिक— 1. थोक व्यापार परिवहन परिसर (लोडिंग अनलोडिंग हेतु वाहन विराम स्थल की आवश्यकता सहित). 2. नगर केन्द्र, उप नगर केन्द्र, उपाहार गृह (होटल), छविगृह एवं अन्य 3. सामुदायिक केन्द्र, स्थानीय दुकानें, सुविधाजनक दुकानें	1.50—2.50 1.00—2.00 0.50—1.50
3	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक— 1. नर्सिंग होम, चिकित्सालय (शासकीय छोड़कर) सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य संस्थायें, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय 2. विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय चिकित्सालय	0.50—1.50 0.25—0.75
4	औद्योगिक— छोटे एवं सेवा उद्योग, फ्लेटेड फैक्ट्री	0.50—1.00

नोट.—कार विराम के प्रावधान हेतु निम्नानुसार मानक होंगे :—

1. खुले क्षेत्र में 18.0 वर्ग मीटर प्रति कार.
2. भूतल पर आच्छादित 23.0 वर्ग मीटर प्रति कार.
3. तलघर में 28.00 वर्ग मीटर प्रति कार.

- (1) विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में उपरोक्त मानकों के आधार पर भूतल एवं तलघर में वाहन विराम का प्रावधान किया जा सकता है.
- (2) नगर केन्द्र अथवा उप नगर केन्द्र में उपरोक्त मानकों के आधार पर वाहन विराम स्थल की आवश्यकता के अनुसार तलघर के अलावा, अतिरिक्त भूमिगत वाहन विराम की व्यवस्था की जा सकती है. यह व्यवस्था प्लाजा, पदयात्री पथ, खुले क्षेत्रों में नीचे की जा सकती है. परन्तु यह व्यवस्था सीमान्य खुले क्षेत्र सीमा रेखा के अंदर ही होगी. ई.सी.एम.—कार क्षेत्र के बराबर (इक्विवलेंट कार स्पेश).

स्रोत.—यू.डी.पी.एफ.आई. मार्गदर्शन.

6.13 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन—

संवेदनशील क्षेत्रों के विकास की गतिविधियां प्रावधानित हैं—

संवेदनशील क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों का नियंत्रण निम्न नियमन के आधार पर किया जावेगा :—

- नदी, नाला एवं तालाबों के किराने छोड़ा जाने वाला कम से कम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार होगा.
- कीचड़, मल निकास, सेप्टिक टैंक निकास किसी भी स्थिति में तालाबों में प्रवाहित नहीं किया जावेगा.
- पेट्रोलियम आधारित उर्वरकों का उपयोग का जल स्रोतों के केचमेंट एरिया में कृषि कार्य को प्रतिबंधित किया जायेगा. जिससे कि तालाबों में जलीय घास-फूस एवं अन्य ऐसी गतिविधियों में जो भूमि कटाव करती हैं, को रोका जा सके. संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक उपाय किया जाना चाहिए.
- नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के मनोरंजन, प्रोत्साहन, दर्शनीय स्थलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे. नियंत्रित क्षेत्र से बाहर के खुले क्षेत्रों में निम्नलिखित श्रेणियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य निर्माण प्रतिबंधित होंगे.
- तालाबों के किनारे के क्षेत्रों में अपने भवनों को व्यक्तिगत सेप्टी टैंक, ग्रीडल मल लाईन, उसका निर्माण हो जाए, जोड़ना होगा.
- नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले वर्तमान भवनों में आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में वृद्धि स्वीकार नहीं होगी, बशर्ते कि पूर्व में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई हो.
- तालाबों की सुरक्षा एवं जलगुणवत्ता के संग्रहण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे.
- ऐतिहासिक महत्व.
- नागरिक एवं संस्कृति महत्व के भवन.
- प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी आधिपत्य में हो, तो भी.
- समय-समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासतीय भवन.

6.14 नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों हेतु नियमन—

सक्षम प्राधिकारी द्वारा शीघ्रता से विरासत महत्व के स्मृति चिह्नों के संरक्षण एवं सुधार हेतु विस्तृत अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिए. जब तक इस प्रकार का अध्ययन एवं प्रस्ताव क्रियान्वयन हेतु तैयार नहीं होते हैं तब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित एवं सूचीबद्ध विरासत भवन निम्नानुसार नियमनों द्वारा प्रतिबंधित होंगे :—

- प्रत्येक विरासत भवन का प्रतिबंधित क्षेत्र उसके समीपवर्ती से 100/300 मीटर क्षेत्र में व्याप्त होगा.
- शासन द्वारा स्वीकृत निजी या अन्य किसी संस्था के माध्यम से इनका मूल स्वरूपीकरण स्वीकार्य होगा.
- चयनित एवं सूचीबद्ध विरासत भवनों को गिराने की अनुमति नहीं होगी चाहे वे निजी आधिपत्य में ही क्यों न हों.
- प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संरचना नगर में प्रभावशाली सामान्य मापदण्ड से संचालित नहीं होंगे.
- प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित भवनों की ऊंचाई एवं रूपांकन विरासत भवनों के वास्तुकला के समान होना चाहिए.
- मार्ग, नगरीय स्थल, चौराहे, आंगन जो कि नगर के प्रमुख तत्व हैं, को संरक्षित रखा जाना चाहिए एवं नगरीय नवीनीकरण एवं पूर्ण विकास के माध्यम से यथा स्थिति दिये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए.
- प्रतिबंधित क्षेत्र में भू-दृश्यीकरण विकास स्वीकार्य होगा जिसमें परिवेश से मिला-जुला वृक्षारोपण, पहुंच परिभ्रमण एवं भवन के चारों ओर पार्किंग स्वाकार्य होगी जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित रूपांकन अनुसार स्वीकृत की जावेगी.
- पुरातत्व महत्व के स्मारकों का रख-रखाव एवं संरक्षण पुरातत्व विभाग द्वारा किया जावेगा.

6.15 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया—

विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक होगी :—

- (1) भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 16 के अंतर्गत निर्धारित अनुज्ञा प्रपत्र में अनुज्ञा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए. [परिशिष्ट 1 (अ) एवं 1 (ब)].
- (2) स्वामित्व संबंधी प्रमाण खसरा पंचशाला, खसरा खतौनी, पंजीयन नामा, प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण.
- (3) मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 के प्रावधानों के अनुरूप जानकारी.
- (4) भूमि का विवरण (स्थान के साथ सड़क/सड़कों के नाम जिस पर या जिसके सामने संपदा स्थित हो एवं भू-सीमाएं).
- (5) मूल खसरा मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि क्रमांक अंकित हो, साथ ही प्रश्नाधीन भूमि का जाहरी सीमा से 200 मीटर के अंतर्गत निहित पास के खसरा क्रमांक दर्शाये हों. प्रश्नाधीन भूमि खसरा मानचित्र पर लाल रंग से चिह्नित की जावे.
- (6) विकसित क्षेत्र के प्रकरण में भूखण्ड क्रमांक तथा स्वीकृत अभिन्यास विस्तृत विवरण सहित
- (7) स्थल मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि चिह्नित हो, साथ ही मुख्य पहुंच मार्ग, भूमि के आसपास वर्तमान भू-उपयोग एवं महत्वपूर्ण भवन.
- (8) 1.500/1000/2000 की स्केल पर सर्वे प्लान जिसमें प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, प्राकृतिक स्वरूप जैसे

नाले, गड्डे, पहाड़ियं, वृक्ष यदि भूमि समतल न हो तो कन्टूर प्लान, प्रश्नाधीन भूमि में से या 200 मीटर तक की समीपस्थ भूमि से जा रही उच्च दाब विद्युत् लाईन, राइट ऑफ वे दर्शते वर्तमान मार्ग, विद्युत् एवं टेलीफोन के खंभे, वृक्ष एवं अन्य सभी संबंधित स्वरूप जो समीपस्थ क्षेत्रों से सामन्जस्य करने हेतु आवश्यक हो.

- (9) प्रतिवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित सभी विकसित प्रस्ताव दर्शता प्लान/मानचित्र.
- (10) प्रस्तावों के यथोचित परीक्षण हेतु भवन के वास्तुविदीय विवरण प्रस्तुत करना होंगे.
- (11) विकास प्रस्ताव के प्रकार जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि पर एक प्रतिवेदन.
- (12) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा. अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिए.
- (13) अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण/जानकारी या अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप प्रमाण/जानकारी एवं प्रश्नाधीन भूमि के विकास प्रस्ताव आवेदन के साथ संलग्न करें.
- (14) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 की धारा 49 (3) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्न करें.
- (15) अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत सामान्य मानचित्रों के अतिरिक्त अपने प्राधिकृत वास्तुविद/यंत्री/नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित यथोचित भू-दृश्यीकरण प्लान जहां आवश्यक हो वहां का परिवहन प्लान जिसमें वाहन एवं नगरीय रूपांकन योजना दर्शाई गई हो, को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होंगे.

टीप.— (1) आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव के परीक्षण करते समय राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रसारित निर्देशों एवं मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन किया जावेगा.

(2) भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधी मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानों की कण्डिका 6.2 (1) को भी ध्यान में रखना आवश्यक है.

6.16 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया—

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 की धारा 43 (3) प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न अभिलेखों की आवश्यकता होगी :—

- (1) परिशिष्ट-3 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र.
- (2) प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि तथा 200 मीटर तक के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हों.
- (3) अद्यतन खसरा पंचशाला एवं खसरा खतौनी.
- (4) आवेदन केवल भू-स्वामी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावेगा.
- (5) जब आवश्यक हो भूमि का पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत करें.

विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना प्रस्तावों को संभव प्रयासों द्वारा निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित किया जावे तभी इसके तैयार करने की सार्थकता सिद्ध होगी. यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान करना होगा. इसलिये ये आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन निवेश सलाह देकर किया जावे, जिससे कि प्रस्तावित निर्माण एवं विकास, अनुमोदित विकास योजना के उपबन्धों के अनुरूप हो. विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा, जबकि मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावे. भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी आवश्यक प्रावधान, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 एवं नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम, 1973 में निहित है.

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः अमरकंटक नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा, इसके गठन होने तक यह दायित्व नगर पंचायत, अमरकंटक द्वारा वहन किया जावेगा. इसके अतिरिक्त अन्य विकास संस्थाओं द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है, इससे विकास योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी. इसलिये यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु शासकीय विभाग एवं अर्धशासकीय निकाय, विकास योजना के कार्यान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें.

7.1 विकास योजना का कार्यान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2015 तक की अवधि के लिये है. वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव कार्यान्वित करने में लगभग 58.13 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है. इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 309.45 हेक्टर भूमि का विकास/अर्जन पर व्यय, जिसके अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक, आमोद-प्रमोद, परिवहन, पर्यावरण सुधार एवं सेवा सुविधाएं सम्मिलित हैं.

अमरकंटक : विकास योजना क्रियान्वयन लागत (अनुमान)

7-सा-1

क्र.	भूमि के उपयोग	विकास लागत (प्रति हेक्टर)	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टर में)	कुल लागत (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	आवासीय	20.00	31.68	633.60
2.	ग्रामों का पर्यावरण सुधार	15.00	4.00	60.00
3.	व्यावसायिक	60.00	6.88	408.00
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	20.00	12.00	240.00

1	2	3	4	5
5.	आमोद-प्रमोद (अ) उद्यान एवं वृक्षारोपण (ब) पर्यटन प्रोत्साहन केन्द्र	10.00	235.35	2353.50
6.	परिवहन	100.00	18.34	1834.00
7.	जन सुविधाएं एवं सेवाएं (अ) विकास (ब) उपकरण	20.00 - -	9.20 - -	184.00 100.00
कुल योग :		-	309.45	5813.00

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है. निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारण की जावेगी :-

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप.
2. पुरातत्वीय एवं सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्रों का संरक्षण.
3. भूमि का कुशलतम उपयोग.
4. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारण.
5. भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव.

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है:-

- (अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम.
 - (ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम.
 - (स) राज्य आवास नीति 1995 के अन्तर्गत भूमि विकास.
6. स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर नगरीय केन्द्र के निर्माण के लिये स्वपोषित अर्थव्यवस्था का विकास.
 7. भूमि को संसाधन मानने की रणनीति द्वारा अधोसंरचना विकास.
 8. विकास योजना एवं अधोसंरचना की उपलब्धता एवं समन्वय की रणनीति द्वारा योजना क्रियान्वयन में निजी भागीदारी एवं पूंजी निवेश को आकर्षित करना.
 4. पर्यटन के लिये अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां उत्पन्न करना.

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है, जो जल स्रोतों के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट भू-स्वरूप, जल स्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है.

अन्य पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे नगरीय अतृप्ति के उपचार, निराकरण इनके पुनर्चक्रिकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न अर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित हैं।

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं:—

1. जल स्रोतों में जल-गल के प्रवह को रोकने हेतु प्रभावी कदम.
2. जल फैलाव क्षेत्रों में “स्टापडेम” द्वारा भूमि क्षरण को रोकना.
3. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण.
4. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था.
5. पर्यटन विकास के लिये अनुकूलतम पर्यावरणीय परिस्थितियां उत्पन्न करना.

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा:—

- संस्था का गठन.
- विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन.
- भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग.
- नगरवासियों, दर्शनार्थियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्ति-युक्त प्रावधान.

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्व:—

1. नियंत्रित विकास.
2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन.
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना.
4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण.
5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा प्रक्रिया हेतु तंत्र उपलब्ध कराना.

7.4.1. नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भूस्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जावेगा. यहां समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी. सार्वजनिक संस्थाएं, प्रमुख सेवा तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी. परिसीमन विकास, आवास नीति 1995 में उल्लेखनीय

संस्थाएं, उल्लेखित विकास संस्थाओं द्वारा किया जावेगा। इस प्रकार विकसित बड़े भूमि क्षेत्र का आवंटन परिसीमन अधोसंरचना की सुगमता के अनुकूल राज्य आवास नीति 1995 के परिप्रेक्ष्य में गृह निर्माण संस्थाओं को आवास संघों एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा दिया जायेगा। उक्त व्यवस्था पर राज्य शासन द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

7.4.2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से आनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

7.4.3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा—

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। जिसमें पांचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने वाले क्षेत्रों के लिये विकास कार्यक्रम होगा, जो कंडिका 7.6 के संदर्भ में रहेगा।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्तखण्ड एवं उपवृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी।

योजना क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुविधादायक के रूप में होनी चाहिए इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अन्तर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों को एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अन्तर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है:—

अमरकंटक अधोसंरचना विकास की निम्न रणनीति प्रस्तावित है :—

1. विकास योजना का क्रियान्वयन पांच-पांच वर्ष के दो चरणों में पूरा किया जावेगा। प्रथम चरण (2004 से 2009) के विकास के लिये कार्यवाही योजना तैयार की जाएगी। विकास कार्यक्रम के आधार पर

वार्षिक योजना कार्यक्रम तैयार होगा. मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्र के विकास हेतु प्राथमिकता आधारित क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम होगा.

2. नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता की दृष्टिकोण से समन्वय संस्था द्वारा वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जावेगा. जिसमें भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित भूमि विकास, वृत्तखण्ड एवं उपखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संस्थाओं के विकास कार्यक्रमों को इसमें प्रमुख रूप से दर्शाया जावेगा. यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगर मार्गों तथा मुख्य सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा.
3. योजना क्रियान्वयन में समन्वय संस्था की भूमिका सुविधादायक की होगी.
4. नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार किया जावेगा. इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं के पास वर्ष विशेष के लिये उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों को एकत्रित कर निर्धारित स्वीकृत विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जावेगा. एकीकृत नगर विकास योजना का क्रियान्वयन निम्न तत्वों के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किया जाना प्रस्तावित है.

(अ) विकास योजना की प्राथमिकताओं का निर्धारण.

(ब) समन्वय प्राधिकारी की भूमिका एवं कर्तव्यों को पारिभाषित करना.

(स) एकीकृत विकास योजना तैयार करना.

(द) निवेश के लिये ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हों.

विकास योजना का द्वितीय चरण 2010 से 2015 तक का प्रस्तावित है. द्वितीय चरण विकास कार्यक्रम से पूर्व प्रथम चरण की उपलब्धियों एवं शेष बचे कार्यों के संबंध में विवेचना की जाकर रणनीति का निर्धारण किया जावेगा. इसमें मुख्यतः प्राकृतिक/निर्मित संरचनाओं के संरक्षण द्वारा विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने की रणनीति के तहत नियंत्रित विकास के कार्यक्रम लागू किये जावेंगे. पर्यटन क्षेत्र में पूंजी निवेश का प्रतिफल पाने की अपेक्षाएं रखना उचित नहीं होता है. क्योंकि पर्यटन के लिये जिम्मेदार कारक नगरीय विकास के लिये रणनीति तैयार करने वाली संस्थाओं की परिधि से बाहर के होते हैं. इस कारण अमरकंटक के विकास में पर्यटन को मुख्य उद्योग मानते हुए भी कृषि, वन उत्पादन एवं पशुपालन की सामानान्तर अर्थव्यवस्था के अधोसंरचना विकास के लिये अनुकूल भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की रणनीति के तहत एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाओं का भी क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है.

अमरकंटक विकास योजना के क्रियान्वयन के लिये विभिन्न घटकों की प्रस्तावित लागत वर्तमान प्रचलित मूल्य के अनुसार रुपये 58.13 करोड़ है. इस लागत में निवेश क्षेत्र के ग्रामों की पर्यावरण सुधार योजना सहित पर्यटन काम्पलेक्स, कैम्पिंग, भूदृश्यीकरण जन सुविधाओं आदि की लागत भी सम्मिलित है विभिन्न घटकों की विकास लागत सारणी-7-सा.-2 के अनुसार होगी.

7.5 प्रथम चरण विकास योजना कार्यक्रम

प्रथम चरण कार्यक्रम के लिये संस्थाओं के परामर्श पश्चात् चिन्हित महत्वपूर्ण विकास कार्यों के घटकों का निर्धारण निम्न विकास उद्दीपक तत्वों के क्रियान्वयन द्वारा प्रस्तावित है :—

7.5.1 क्षेत्रीय विकास घटक

- (अ) अमरकंटक से रीवा, कटनी, जबलपुर एवं बिलासपुर मार्गों का गुणात्मक विकास अनुरक्षण सहित.
- (ब) अमरकंटक, पेण्ड्रा रोड मार्ग का फोरलेन मार्ग के रूप में विकास.
- (स) पेण्ड्रा रोड रेल्वे स्टेशन पर सुविधाओं एवं सेवाओं का विकास.
- (द) राज्य स्तर पर प्रदेश की राजधानी में पर्यटन कैम्प केन्द्र निर्माण.

7.5.2 प्रथम चरण में विकास के घटक

1. पर्यटक दृश्य बिन्दुओं के प्रोत्साहन हेतु पदचारी मार्गों का सौंदर्य घटकों सहित निर्माण.
2. नर्मदा कुण्ड से नर्मदा सरोवर तक घाटों का निर्माण.
3. विश्राम गृह के पीछे गोल्फ क्लब सहित गोल्फ क्षेत्र का विकास.
4. कलात्मक उद्यान का विकास.
5. वाटर पार्क एवं एम्पूजमेन्ट पार्क का निर्माण.
6. ग्रामीण पहुंच मार्गों का निर्माण.
7. झुग्गी-झोपड़ियों का व्यवस्थापन.
8. कचरा स्थलों का विकास एवं उपकरणों की व्यवस्था.
9. सीवर लाइन का निर्माण सीवर संशोधन संयंत्र सहित.
10. पर्यावरण अवरोध रहित गन्दी बस्तियों में पर्यावरण सुधार कार्यक्रम.
11. दृश्य बिन्दुओं पर पर्यटन सुविधाओं एवं सेवाओं की व्यवस्था.
12. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में वर्तमान डीजल एवं पेट्रोल चलित वाहनों का प्रयोग निषिद्ध करते हुए बैटरी चलित वाहनों, घुड़सवारी आदि की व्यवस्था.
13. पर्यटन प्रोत्साहन बसाहट केन्द्रों का निर्माण.
14. कपिल धारा अमरकंटक मार्ग का फोरलेन मार्ग के रूप में उन्नयन.
15. पर्यटक, मनोरंजन हेतु तारामण्डल, विज्ञान केन्द्र सभी राज्यों के हैण्डिक्राफ्ट एम्पोरियम एवं विज्ञान केन्द्र की स्थापना करना.

उपरोक्तानुसार प्रथमचरण विकास के लिये नगरीय विकास की लागत लगभग रुपये 24 करोड़ आती है. जिसके महत्वपूर्ण घटक निम्नानुसार हैं :—

अमरकंटक : प्रथम चरण कार्यक्रम एवं अनुमानित व्यय

7-सा-2

क्र.	कार्य का नाम	प्रस्ताव क्षेत्र	लागत (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	पदचारी मार्ग	पर्यटन दृश्य बिन्दु	400.00
2.	सड़क निमोण	अमरकंटक कपिलधारा मार्ग	500.00
3.	सीवर लाइन	अमरकंटक नगर	480.00
4.	झुगगी-झोपड़ियों का व्यवस्थापन	असंगत भूमि उपयोग क्षेत्र	100.00
5.	पर्यावरण सुधार	दमगाढ़, उमरगोहान एवं जालेश्वर	60.00
6.	पर्यावरण प्रोत्साहन केन्द्रों का विकास	आमोद-प्रमोद क्षेत्र	200.00
7.	कलात्मक उद्यान घाट एवं वाटर पार्क निर्माण	नर्मदा सरोवर से नर्मदा कुण्ड	510.00
8.	पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में यातायात	दृश्य बिन्दु क्षेत्र	50.00
9.	जन सुविधाएं एवं सेवाएं	सम्पूर्ण क्षेत्र	100.00
कुल योग :			2400.00

7.6 पर्यावरण संरक्षण

भारत वर्ष में पर्यावरण संरक्षण प्राचीन काल से मानवीय विकास का महत्वपूर्ण घटक रहा है. यद्यपि पर्यावरण संरक्षण के लिये प्राचीन समय में राष्ट्रीय नीति एवं सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी परिलक्षित नहीं होती है. शायद इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भारतीय ऋषि-मुनियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये राष्ट्र के नागरिकों में श्रद्धा की भावना को जागृत किया जाता था. जिसके तहत भारतीय जनमानस नदियों को माँ, पर्वतों को देवता एवं वृक्षों को पूजनीय मानने की भावना से ओत-प्रोत था. अतः नागरिकों द्वारा पूजनीय साधनों के पर्यावरण को प्रदूषित करने की संभावना नगण्य थी. इसी कारण शासन द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया है. नीति क्रियान्वयन में सामाजिक संस्थाओं को भी महत्वपूर्ण भूमि का निर्वाहन करने हेतु आमंत्रित किया गया है. जिनके सहयोग से अमरकंटक के 97 प्रतिशत भू-भागों में फैले वन, पहाड़ एवं जल स्रोतों को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करते हुए क्षेत्र की धारणाधिकार क्षमता के अनुरूप वृक्षों, वनस्पतियों, जल भराव केन्द्रों को मनोरम एवं आकर्षण बनाया जाना प्रस्तावित है.

पर्यावरण क्षेत्रों को प्रभावित होने से बचाने के लिये वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की व्यवस्था, मेले के समय तीर्थयात्रियों के लिये खाना पकाने के स्थान का निर्धारण एवं तदनु रूप ईंधन की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है.

जल स्रोतों में गिरने वाले गन्दे पानी को भूमिगत जल-मल निकास प्रणाली द्वारा प्रवाहित करने एवं उसके शुद्धिकरण की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। जल स्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्र में बसाहट को हतोत्साहित करने के लिये नदी के दोनों ओर 30 मी. तक की बसाहट को अन्यत्र स्थानान्तरित करने एवं नदी उद्गम कुण्ड से 500 मी. तक के क्षेत्र में निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित करने की व्यवस्था भी पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित की गई है।

अमरकंटक क्षेत्र में पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों के आवास के लिये पक्के निर्माण को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से पर्यटन प्रोत्साहन तथा बसाहट केन्द्रों के निर्माण की पर्यावरण अवरोध रहित नीति प्रस्तावित की गई है।

7.6.1 वायोस्फियर रिजर्व


उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अमरकंटक के पर्यावरण संरक्षण हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा राज्य की पर्यावरण सलाहकार संस्था पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल के माध्यम से अमरकंटक क्षेत्र को वायोस्फियर रिजर्व घोषित करने के लिये परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं। अमरकंटक विकास योजना में वायोस्फियर रिजर्व में निहित पर्यावरण संरक्षण प्रस्तावों का भी क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए समावेश किया गया है। प्रस्तावित वायोस्फियर रिजर्व के कोर क्षेत्र में पक्के निर्माण कार्यों को हतोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है। वफरजोन में भी गोल्फकोर्स, कलात्मक उद्यान, वृक्षारोपण पर्यटन प्रोत्साहन केन्द्र आदि गतिविधियां भी प्रस्तावित की गई हैं। आवासीय एवं व्यावसायिक विकास के प्रस्ताव मुख्यतः बराती दादर के समीप दिये गये हैं। इन प्रस्तावों में भी निर्माण कार्यों की ऊंचाई अधिकतम 7.5 मीटर रखी जाकर भवनों का निर्माण निर्धारित खुले क्षेत्र एवं वाहन पार्किंग व्यवस्था के उपरान्त ही स्वीकृत किया जावेगा। जिससे विकास योजना प्रस्ताव एवं वायोस्फियर रिजर्व के प्रस्ताव में एकरूपता रहेगी तथा वायोस्फियर के प्रस्तावों में परिवर्तन होने की दशा में वायोस्फियर क्षेत्र के प्रस्ताव ही निर्माण अनुमति के लिये बंधनकारी होंगे।




अमरकंटक क्षेत्र में आदिवासी आबादी को आत्मनिर्भर बनाए जाने एवं वायोस्फियर रिजर्व में स्वपोषित अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही प्रस्तावित है :-


1. कृषि क्षेत्र में दो से तीन फसलें लेने हेतु अनुसंधान करते हुए खेती के लिये फसल चक्र निर्धारित करना.
2. वन औषधि पौधों के अनुसंधान एवं संरक्षण की व्यवस्था करना.
3. फलदार पौधों के आरोपण के लिये प्रोत्साहन की स्पष्ट नीति निर्धारित करते हुए निजी पड़त भूमि में फलदार पौधों एवं जलस्तर बढ़ाने वाले पौधों का आरोपण सुनिश्चित करना एवं यूकेलिप्टस के पौधों को हटाना.
4. वनस्पति एवं जीव-जन्तु संरक्षण द्वारा वन उत्पादों में वृद्धि करना भूदृश्य एवं अनुसंधान द्वारा क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण में अभिवृद्धि करते हुए पर्यटकों को आकर्षित करना.
5. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन चक्की आदि के प्रोत्साहन एवं वितरण की व्यवस्था करना.
6. ग्रामीण विकास के अन्तर्गत आदिवासियों के सामाजिक कल्याण हेतु पशुधन विकास एवं कार्यक्रम तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन करना तथा दुग्ध डेयरी उद्योग की स्थापना करना.

अमरकंटक

7.1 प्रथम चरण



- मुख्य मार्ग 
- पदचारी मार्ग 
- सीवेज लाईन 
- ग्रामीण आवासीय सुधार योजना 
- झुग्गी झोपड़ी व्यवस्थापन 
- कलात्मक उद्यान एवं वाटर पार्क 
- दृश्य बिन्दु सुविधा का विकास 



7. पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये लोगों को प्रशिक्षित करना.
8. पर्यावरण संरक्षण में जलवायु चक्र में सुधार द्वारा उपज में वृद्धि करना.
9. भूजलस्तर में वृद्धि के लिये स्टाप डेम एवं तालाबों का निर्माण करना.
10. महिला एवं बच्चों के लिये पोषण-आहार तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा स्वस्थ व्यक्ति एवं परिवार व्यवस्था से कार्यक्षमता में वृद्धि करना.
11. प्राथमिक एवं स्वरोजगार शिक्षा द्वारा आदिवासी जनसंख्या को वैकल्पिक रोजगार के साधनों का विकास करना, जिससे जमुना-दादर मार्ग पर राजस्व हरित क्षेत्र के अन्दर गौशाला एवं चारागाह का विकास भी सम्मिलित है.
12. वन औषधियों की पहचान, उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था द्वारा आदिवासी जनसंख्या के रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना.

7.7 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है:—

1. पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना.
2. आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण.
3. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना.
4. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अधोसंरचना एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश निर्धारण.
5. आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमि का निर्धारण.
6. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना.
7. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण.
8. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को परियोजनाओं तथा उप-परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना.

योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है:—

1. स्थानीयस्तर पर नियोजन, पर्यवेक्षण समिति.
2. नगर विकास प्राधिकरण अथवा नगर पंचायत द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना.
3. नियोजन, पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन.
4. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना.
5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना.

विकास योजना की सफलता, विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण, समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करता है. यह योजना क्रियान्वयन

एवं पुर्नवलोकन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करती है।

7.8 पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मूलतः अमरकंटक विकास प्राधिकरण का होगा। अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होंगे। अतः क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ-3/3130/32/97, दिनांक 20-1-1998 एवं संशोधन आदेश क्र. एफ-3/55/32/98, दिनांक 12-8-1998 द्वारा जिलाध्यक्ष अनूपपुर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876, दिनांक 15-5-1998 में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी। अमरकंटक नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन होने तक यह दायित्व नगर पंचायत, अमरकंटक वहन करेगी।

7.8.1 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण

विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.9 योजना की व्याख्या

अमरकंटक विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :—

- (1) विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषय वस्तु में साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
- (2) परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन वर्णित प्रक्रिया अनुसार होंगे। नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल खण्डस्तर तथा उपखण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
- (3) ऐसे भूमि उपयोग, गतिविधियां जो प्रमुख भू-उपयोग (मेजर लैंड यूज जोन) में परिभाषित नहीं हैं वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जायेंगी, किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग सूची में शामिल हैं, वे भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आएंगे।
- (4) विकास प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जायेगा।

परिशिष्ट

(नियम 16)

किसी भवन के विकास, निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिए प्रथम आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

.....

महोदय,

मैं, एतद्वारा यह सूचना देता हूँ कि मैं नगर मोहल्ला, बाजार, सड़क बस्ती मार्ग में भवन क्रमांक में पर तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 17 के के अनुसार विकास निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा वास्तुविद, इंजीनियर, पर्यवेक्षक, नगर निवेशक, अनुज्ञप्ति क्रमांक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) जो उस निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित रेखांक और विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ :-

1. मुख्य रेखांक
2. स्थल रेखांक
3. उप विभाग अभिन्यास योजना
4. भवन नक्शे
5. सेवा आयोजना
6. विशिष्टियां सामान्य तथा विस्तृत*
7. स्वामित्व संबंधी हक.

मैं, निवेदन करता हूँ कि विकास निर्माण को अनुमोदित किया जाय और मुझे कार्य निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाय.

स्वामी के हस्ताक्षर

स्वामी का नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

स्वामी का पता

.....

तारीख

*प्राधिकारी द्वारा सीधे उपयोग के लिए रूपरेखा तैयार की जा सकती है।

APPENDIX-A
(Rule 16)

**FORM FOR FIRST APPLICATION TO DEVELOP, ERECT, RE-ERECT OR
TO MAKE ALTERATION IN ANY PLACE IN A BUILDING**

To,

.....
.....
.....

Sir,

I, hereby give notice that I intend to develop, re-erect or to make alteration in the building No. or to on/in Plot No. in Colony/Street Mohalla/Bazar/Road City and accordance with the Rule 17 of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 1984, I forward herewith the following plans and specifications in quadruplicate duly signed by and the Architect/Structural Engineer/Engineer/Supervision/Town Planner.

(Name in Block letters)

Licence No. who will supervise its erection :—

1. Key Plan
2. Site Plan
3. Sub Division/Layout Plan*
4. Building Plans
5. Service Plans
6. Specifications, General and Detailed*
7. Ownership Title.

I request that the development construction may be approved and permission accorded to me to execute the work.

Signature of the Owner

Name of the Owner

Address of the Owner

Date

* A format may be prepared by the Authority for direct use.

[नियम 49 (3) देखिये]

विकास योजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्ररूप

प्रेषक,

प्राधिकारी,

.....

.....

मध्यप्रदेश.

महोदय,

मैं, एतद्द्वारा, नगर मोहल्ला/ बाजार

बस्ती/ कालोनी/गली भूखण्ड क्रमांक खसरा क्रमांक

की भूमि के विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ. क्षेत्र में संबंधित विकास योजना / परिक्षेत्रिक विकास योजना में संबंधित प्रस्ताव ऊपर उल्लिखित भूमि के लिए उपखंड आयोजना तैयार करने के लिए उपलब्ध किये जा सकेंगे. विकास योजना/ परिक्षेत्रिक विकास योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भुगतान किया जा चुका है तथा रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है.

भू-स्वामी के हस्ताक्षर

भू-स्वामी का नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

भू-स्वामी का पता

.....

स्थान

दिनांक

नाम—नगर/नगर निगम/नगरपालिका/विकास प्राधिकरण/नगर निवेश अधिकारी

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3 (1) पृष्ठ 153
दिनांक 3 मार्च 2000 में प्रकाशित

आवास एवं पर्यावरण विभाग,
कलेक्टर एवं सदस्य सचिव, जिला योजना समिति, शहडोल

शहडोल, दिनांक 19 जनवरी 2000

क्रमांक 9/90 जि.यो.स. न.ग्रा.नि. 2000.—मध्यप्रदेश जिला योजना समिति 1995 की धारा 7 (क) (1) सहपठित मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.-3-25-99/बत्तीस, भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन एतद्द्वारा अधिनियम के प्रयोजन हेतु "अमरकंटक निवेश क्षेत्र" का गठन किया जाता है. जिसकी सीमायें निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई है.

अनुसूची

अमरकंटक निवेश क्षेत्र की सीमायें

- उत्तर में— जालेश्वर एवं उमरगोहान ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
- पूर्व में— उमरगोहान, जालेश्वर और अमरकंटक ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
- दक्षिण में— अमरकंटक दमगढ़ ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
- पश्चिम में— अमरकंटक, दमगढ़, जालेश्वर तथा उमरगोहान की पश्चिमी सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(पंकज अग्रवाल)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3 (1) पृष्ठ 96
दिनांक 13 फरवरी 2004 में प्रकाशित

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, शहडोल

शहडोल, दिनांक 3 फरवरी 2004

क्र. 162/शोध/2/भूमि उपयोग/अमरकंटक/न.ग्रा.नि.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट अमरकंटक निवेश क्षेत्र में भूमि का वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र तदनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं, इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चयक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

अमरकंटक निवेश क्षेत्र की सीमायें

- उत्तर में— जालेश्वर एवं उमरगोहान ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
- पूर्व में— उमरगोहान, जालेश्वर और अमरकंटक ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
- दक्षिण में— अमरकंटक दमगढ़ ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
- पश्चिम में— अमरकंटक, दमगढ़, जालेश्वर तथा उमरगोहान की पश्चिमी सीमा.

उक्त अंगीकृत मानचित्र दिनांक 9-2-2004 से 16-2-2004 तक नगर पंचायत अमरकंटक के कार्यालय में सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

हस्ता./-
(जे. पी. सिंह)
उप संचालक.

कलेक्टर एवं सदस्य सचिव
जिला योजना समिति, शहडोल मध्यप्रदेश
आदेश

शहडोल, दिनांक 6-5-2002

क्रमांक 504/जि.यो.स./बैठक/2002.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17-क (1) के अन्तर्गत अमरकंटक विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-

अधिनियम की धारा 17-क (1) की धारा (1)	पद/व्यक्ति का नाम (2)	संस्था का पता (3)
(क)	अध्यक्ष	नगर पंचायत, अमरकंटक
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, शहडोल
(ग)	लोक सभा सदस्य	शहडोल
(घ)	विधायक	पुष्पराजगढ़
(ङ)	कोई नहीं	-
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, पुष्पराजगढ़
(छ)	1. सरपंच 2. सरपंच	ग्राम पंचायत, दमगढ़ ग्राम पंचायत, उमरगोहान
(ज)	1. प्रतिनिधि 2. प्रतिनिधि 3. प्रतिनिधि 4. प्रतिनिधि 5. प्रतिनिधि 6. प्रतिनिधि 7. प्रतिनिधि	कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का प्रतिनिधि. इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया का प्रतिनिधि. इंस्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियर्स इंडिया का प्रतिनिधि. वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल (दक्षिण) शहडोल (म. प्र.). अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुष्पराजगढ़, जिला शहडोल (म. प्र.). श्रीमती राजेश नंदिनी सिंह जी, राजेन्द्रग्राम, तहसील-पुष्पराजगढ़, शहडोल (म. प्र.). कुँवर गम्भीर सिंह जी, पूर्व विधायक, गढ़ी, सोहागपुर, शहडोल (म. प्र.).
(झ)	समिति का संयोजक	उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, शहडोल (म. प्र.).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(पंकज अग्रवाल)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
शहडोल (म. प्र.).

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 1998

क्रमांक एफ-3/130/बत्तीस/97.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनाएं अनुमोदित हैं, कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए निम्नानुसार “नियोजन एवं पर्यवेक्षण” समिति का गठन करता है:—

- | | |
|---|---------|
| 1. संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर. | अध्यक्ष |
| 2. नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय अधिकारी | सदस्य |
| 3. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 4. संबंधित आयुक्त, नगरपालिका निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरपालिका | सदस्य |
| 5. लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 7. मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 8. (अ) संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है.) | |
| (ब) संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण स्थापित नहीं है.) | |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. व्ही. उपाध्याय)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 1998

क्रमांक एफ. 3/55/बत्तीस/98.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, नगरों की अनुमोदित “विकास” योजनाओं के क्रियान्वयन की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 3/130/32/97, दिनांक 20-1-98 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित “नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति” में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :—

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र
2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
4. महापौर, संबंधित नगर पालिका निगम
5. अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका
6. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 2876/नग्रानि/वि.यो./98

भोपाल, दिनांक 15 मई 1998

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण.
2. आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर निगम/नगरपालिका.

विषय.—विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूपरेखा.

मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3/130/32/97, दिनांक 20-1-98 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई "नियोजन एवं पर्यवेक्षण" समिति की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है :—

1. पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी :—
 - (अ) नगरीय अधोसंरचना का विकास
 - (ब) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास
 - (स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों/ उप केन्द्रों का विकास
 - (द) आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास.
2. समिति निम्नलिखित कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु तीन माह में एक बार बैठक करेगी :—
 - (अ) कार्यक्रम का चयन
 - (ब) परियोजना तैयारीकरण
 - (स) परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था
 - (द) कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरूप वांछित सुधार.
3. समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी.

विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा. जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे. समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश के विचारार्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा.

हस्ता./-

(के. के. सिंह)

संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल, मध्यप्रदेश.

अमरकंटक क्षेत्र में प्राप्त वनौषधियां एवं उनसे उपचार

स. क्र.	वनौषधियों के नाम	उपयोग
1	2	3
1.	शतावर	रूधिर, विकार, बलवर्धक, पुष्टिदायक
2.	ब्राही	बुद्धिदायक, आयुवर्धक, शक्तिवर्धक
3.	काली मूसली	बलवर्धक, कीटाणु नाशक
4.	अडूसा	कोढ़ नाशक, रक्त पित्त नाशक
5.	आवला	केशों का हितकारी, धातुवर्धक
6.	जंगली अदरक	वात नाशक, कफ नाशक, खांसी नाशक
7.	जटामासी	कुष्ठ रोग, बलवर्धक
8.	बहेड़ा	पाचन शक्तिवर्धक, नाशारोग व स्वरभंग नाशक
9.	धतूरा	कोढ़ नाशक
10.	लज्ज्यावन्ती	घाव, सूजन, रक्तविकास नाशक
11.	जंगली गुलाब	मुंहासे, मलरोधक
12.	गुलबकावली	ज्योतिवर्धक, मोतियाबिन्दु नाशक
13.	अकल करहा	दांत दर्द, सूजन, वात का विनाश
14.	जंगली हल्दी (आमीहल्दी)	चोट, शरीर दर्द नाशक
15.	हंस राज आमाहल्दी	शक्तिवर्धक
16.	जंगली प्याज	कफ, पित्त नाशक
17.	जटाशंकर	रूधिर, विकार बलवर्धक
18.	धीग्वार	खांसी, चर्मरोग नाशक
19.	जंगली धनिया	ज्वर नाशक, कफ नाशक
20.	अमलतास	हृदयरोग, खुजली
21.	इन्द्रापन	कंठरोग, कान दर्द नाशक
22.	नागकेशर	बिप नाशक, कंठ रोग नाशक
23.	केउआ-कंद	खांसी, ज्वर व कुष्ठ रोग नाशक
24.	अपामार्ग	पाचक, उदररोग, वात नाशक
25.	बाराही कंद	शुक्राणु जनक
26.	भुँई आँवला	मूत्ररोग वि नाशक, प्रदेह नाशक
27.	सहदेई	हृदय रोग, मूत्रातिसार
28.	शिवलिंगी	पुष्टिदायक, पित्तातिसार नाशक
29.	बिलाई कंद	बलन कारक, स्वरभंग नाशक
30.	बीजबद	शक्तिवर्धक, सर्वसिद्धदायक
31.	हुकरकंद	बवासीर, कृमिरोग नाशक
32.	मुलेटी	सूजन, विष, क्षय रोग नाशक, खांसी
33.	सफेद मूसली	अग्निवर्धक, रूधिरविकार
34.	पाढल पूल	बमन निवारक, दाह नाशक
35.	करन्ज	योनिरोग, कृमि व त्वचारोग

1	2	3
36.	बिंदारी कंद	कफ नाशक, रक्त को साफ करने वाला
37.	वनककोड़ा	सर्वविष नाशक, बृडशोषक
38.	गिलो	मलरोधक, प्रमेह नाशक
39.	हर्रा	मेघाकारक, पाचन शक्तिवर्धक, मूत्राघात नाशक
40.	बच	अपरस्मार नाशक, वाणीदायक
41.	पीलिया कंद	पीलिया रोग व कमजोरी नाशक
42.	भैसा कंद	कफ व वात रोग नाशक
43.	हड़जोड़	टूटी हड्डियों को जोड़ना, पोलियो
44.	अशोक	रक्त रोष या सूजन नाशक
45.	कटेरी	हृदय रोग नाशक
46.	गोखरू	पथरी नाशक, कुष्ठ रोग नाशक
47.	गोरखमुण्डी	मिर्गी रोग नाशक, पित्त नाशक
48.	छिकनी	दृष्टि रोग नाशक
49.	धबई के फूल	विष वि नाशक
50.	नागर मोथा	ज्वर नाशक
51.	निरगुण्डी	कुष्ठ रोग, श्वास रोग
52.	रेणुका	दाह नाशक, दाग रोग निवारक
53.	न्यारियाड़ा	मूत्र तिसार रोग, पित्त नाशक
54.	तैलिया कंद (तेल कंद)	पेट रोग नाशक
55.	ब्रम्हारकाश	वायुविकार, पेट रोग नाशक
56.	अमरबेल	हृदय को हितकारी
57.	शंखपुष्पी	स्मरण शक्तिवर्धक
58.	तालमखाना	मल्यरोधक, गर्भ स्थापक
59.	पीपर	मूर्छा रोग, बवासीर, कफ नाशक, शक्तिवर्धक
60.	भस्मपत्ती	पाचन शक्तिवर्धक
61.	काली मिर्च	कृमि नाशक, पित्त नाशक, कफ नाशक
62.	नीम	ब्रणदाह, क्षय रोग नाशक
63.	संजीवनी	सर्वरोग हारक, शक्तिवर्धक, वीर्यवर्धक
64.	सर्पगंधा	रक्तचाप
65.	तीखुर	दर्द नाशक
66.	पीपल	दातुन से दांत मजबूत होते हैं, मसूड़ों की सूजन ठीक होती है. खुजली, फोड़े-फुंसियों पर छाल का मरहम लगाते हैं.
67.	घीकुंवार या ग्वार पाहर	घाव, शरीर विकार, चर्म रोग
68.	सरपखा या सरफोंका	विषों के हानिकारक प्रभाव का प्रतिरोधक, कीटाणु नाशक, रक्त विकार, वृद्धावस्था के रोगों व दोषों को दूर करता है.
69.	मोरछली	बालरोग वि नाशक, निमोनिया में लाभप्रद
70.	गुलहठी	ज्वर, श्वास रोग व बालरोग वि नाशक
71.	जवाखार	मूत्ररोधक, रक्तस्त्राव दूर करता है.
72.	गोखरू	जीवाणु प्रकोप रोधक

1	2	3
73.	नागरमोथा	खांसी, कुकरखांसी में लाभप्रद
74.	कचनार	सिर पीड़ा, गलक्षत दूर करना, पेट फूलना में लाभप्रद, दंत पीड़ा, आंतों की कीड़ा विनाशन में लाभप्रद.
75.	भरामांसी	कैंसर रोग निवारक
76.	अमरकटकी	कैंसर, हृदयघात में लाभप्रद
77.	दारहल्दी	चोट घाव में लाभप्रद
78.	कूट	चर्म रोग एवं कुष्ठ रोग नाशक
79.	मण्डूक पर्णी	जलन में लाभप्रद
80.	पृष्ठपर्णी	अतिमूत्र, अतिसार
81.	सहदेवी	नाड़ीब्रण
82.	अर्जुनादि	यक्ष्मा रोग नाशक
83.	पाठा	जठन शान्त करने में
84.	मधूक	विष, जहरनाशक

अन्य वनौषधियों की सूची निम्नानुसार है :—

85.	कांधी	86.	अदरक देशी	87.	अनन्तमूल
88.	अन्तामूल	89.	अपराजिता	90.	अरन्द
91.	अश्वगंधा	92.	आक	93.	इश्वरमूल
94.	इलाइची (छोटी)	95.	उलटकम्बल	96.	मलबंगानी
97.	कटसरिगा	98.	कनेर (पीली)	99.	कनेर (लाल)
100.	कनेर (सफेद)	101.	कपास (देशी)	102.	कपास (वन)
103.	कालीहारी	104.	कसौंधी	105.	कालमोघ
106.	केवड़ा	107.	कालबुखारा	108.	खस
109.	गंध प्रसारिनी	111.	ंधराज	112.	गुड़हल
113.	गड़मार	114.	गुलबंस	115.	गुलचिन
116.	चितरक	117.	चिरकिटा	118.	चिलकामेकोप
119.	जंगलीस्वर्ण	120.	जिमीकंद	121.	तुलसी (वन)
122.	दूधी (छोटी)	123.	देशी हल्दी	124.	घटब्रकला
125.	निसोथ	126.	पल्पकुम्हड़ा	127.	गंधप्रियागु
128.	पुनरनावा	129.	पिपरमेंट	130.	वनजीरा
131.	वनकुंडुरा	132.	बेबिदांग	133.	वहरकंद
134.	बजरंगनथ	135.	भंरगी	136.	मकोइया मकोई
137.	ममीरा	138.	मरीदफली	139.	मुसकरनी
140.	गुमची	141.	रामदतुन	142.	लहसुन (वन)
143.	लक्ष्मणकंद	144.	सदासुहागन	145.	स्वर्णाछिरी
146.	सेमलकंद	147.	लेमनघास	148.	लटकन
149.	तेजराई	150.	जलराज	151.	करल्टी
152.	पडोरा	153.	दूधीलता (बड़ीदूधी)	154.	वेनचांदी

भोपाल, दिनांक 9 मई, 2005

सूचना

क्र. एफ. 3-93-2004- बत्तीस.- एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत अमरकंटक, निवेश क्षेत्र की विकास योजना को राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित की गई है तथा अनुमोदित विकास योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा :-

- (1) आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश
- (2) कलेक्टर, कार्यालय, अनूपपुर, मध्यप्रदेश
- (3) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय-शहडोल, मध्यप्रदेश
- (4) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत अमरकंटक, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एन. त्रिपाठी, उपसचिव